रजिस्ट्री सं० डी० (डी) -73 Registered No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1975 (भाद्रपद 8, 1897)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1975 (BHADRA 8, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 29 जुलाई 1975

सूचना

एस० बी० डी०/क० 12/1975—इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38वां) की धारा 25, उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से विचार-विमर्श करके डा० एम० आर० गोपालकृष्णन नायर, अम्बाडी, टी० सी०/4/481, कौदिआर, त्रिवेन्द्रम-3, को श्री एम० के० मणी के स्थान पर जो आज से निदेशक नहीं रहेंगे, 29 जुलाई 1975 से 28 जुलाई 1978 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 3 वर्ष की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ, ट्रैवनकोर के निदेशक पद पर नामांकित करता है।

आर० के० तलवार,
अध्यक्ष

स्थानीय प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1975

सूचना

सं० जी० एम० ओ०/स्टाफ/18/4303—(1) श्री के० सी० गुप्ता, अधिकारी श्रेणी-I ने 1 जुलाई 1975 से नई दिल्ली मुख्य शाखा में कार्मिक अधिकारी का कार्यभार संभाला।

(2) श्री वी० एन० पुष्प, अधिकारी श्रेणी-I ने 20

जून 1975 से चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में प्रबन्धक, वैयक्तिक बैंकिंग प्रभाग का कार्यभार संभाला।

ए० एस० मोंगिया,
मुख्य महा प्रबन्धक

दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया

कलकत्ता, दिनांक 14 जून 1975
(कास्ट एक्काउन्टेन्ट्स)

18-सी० डब्ल्यू० आर० (21)/75—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन्स, 1959 के विनियम 18 का अनुसंरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउन्टन्ट्स आफ इन्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्युलेशनन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गय अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जोसेफ विन फ्रेड, बी० काम०, ए० सी० एम० ए०, ए० आई० सी डब्ल्यू० ए०, 41-ए०, पडमनाब नगर, अद्यार, मद्रास-600 020, (सदस्यता संख्या 1253) के नाम को 14 जून, 1975 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया गया।

दिनांक 12 जुलाई 1975

16-सी० डब्ल्यू० आर० (150–151) 75—दी कास्ट आन्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्टस रेग्युलेशन, 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिट्यूट आंफ कास्ट आन्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया के परिषद् ने दी कास्ट आन्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा 1 के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनके मृत्यु के कारण, उनके सामने दिये गये दिनांक से सदस्य पंजिका से हटा दिया है।

एम० 1395	श्री आर० कृष्णमूर्ति विस प्रबन्धक मद्रास फर्टलाइजर लिमिटेड मनाली, मद्रास–8	24 मई 1975
एम० 505	श्री हेरम्बा कुमार चक्रवर्ती 14 श, चक्रवेरीया लेन, कलकत्ता-20	7 जुलाई 1975

एस० एन० घोष,
सचिव

कृषि पुनर्वित्त निगम

सूचना

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कृषि पुनर्वित्त निगम की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 26 सितम्बर 1975 को मध्याह्न 3 बजे कृषि पुनर्वित्त निगम, दूसरी मंजिल, श्रीनिकेतन 'एफ' ब्लाक, शिवसागर इस्टेट, डॉ० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018 में होगी। उक्त बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :

(क) 30 जून 1975 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखों पर विचार-विमर्श।

(ख) वार्षिक तुलनपत्र और लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।

(ग) 30 जून 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट पर विचा - विमर्श।

निगम का शेयर-रजिस्टर 11 सितम्बर 1975 से 25 सितंबर 1975 तक, दोनों दिन मिलाकर, बंद रहेगा।

बोर्ड के आदेश से

एम० ए० चिदम्बरम्
प्रबंध निदेशक

कृषि पुनर्वित्त निगम

बम्बई, दिनांक 17 अक्तूबर 1974

सं० जी० एस० आर०— कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32(2) के अनुसरण में 30 जून 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के काम-काज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट और 30 जून 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा इसके अधीन प्रकाशित किये जा रहे हैं:

कृ० पु० निगम एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

स्रोत	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1968	1973	1974		1968	1973	1974
शेयर पूंजी और आरक्षित शोशियाँ	5.00	10.82	16.50	प्रदान किया गया पुनर्वित्त राज्य भूमि विकास बैंक	11.90	195.60	(271.51)
उधार							
भारत सरकार से लिये गये उधार	8.00	124.85	163.50	(जिसमें से अं० वि० संघ परियोजनाओं के अधीन प्राप्त)	(—)	(68.77)	119.84
(जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) की सहायता का अंश)	(—)	(45.21)	(83.86)				
रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया से लिये गये उधार:				अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.55	11.11	27.08
दीर्घकालीन क्रियाएं निधि	—	34.50	54.00	(जिस में से अंतराष्ट्रीय पुनिनिर्माण (आई० बी० आर० डी०/	—	1.05	4.33
अल्पकालीन क्रियाएं	—	3.70	11.60	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०)/ विकास बैंक योजनाओं के अधीन प्राप्त)			
बाजार से लिये गये उधार	—	38.71	66.21	राज्य सहकारी बैंक	0.20	9.44	11.15

स्थापना से लेकर अब तक का विकास

(करोड़ रुपयों में)

जून के अंत की स्थिति	1964	1965	1966	1967	1968
शेयर पूंजी और आरक्षित राशियां	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
विशेष जमाराशियां	—	0.11	0.24	0.36	0.49
राजकीय सहायता ऋण	0.03	0.05	0.11	0.12	0.14
उधार					
(1) भारत सरकार से	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00
(2) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से	—	—	—	—	—
(i) अल्पावधि	—	—	—	—	—
(ii) दीर्घावधि	—	—	—	—	—
(3) बांड और डिबेंचर दिया गया पुनर्वित	—	—	—	—	—
(शुद्ध)	—	0.45	4.90	6.97	12.63
(1) डिबेंचर	—	0.45	4.75	6.67	11.90
(2) ऋण	—	—	0.15	0.30	0.73
अन्य आस्तियां	2.05	0.05	0.12	0.22	0.51
निवेश और नकदी आरक्षित राशियां	8.20	9.92	5.52	3.58	0.85
सकल आय	0.37	0.40	0.43	0.50	0.60
कराधान के पहले लाभ	0.35	0.36	0.39	0.44	0.43
देय कर	0.18	0.18	0.23	0.24	0.24
कराधान के बाद लाभ	0.17	0.18	0.16	0.20	0.19
अदा किया गया लाभांश	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

स्थापना से लेकर अब तक
का विकास—जारी

(करोड़ रुपयों में)

जून के अंत की स्थिति	1969	1970	1971	1972	1973	1974
शेयर पूंजी और आरक्षित राशियां	5.00	5.09	5.23	10.44	10.82	16.50
विशेष जमाराशियां	0.61	0.74	0.87	0.99	1.17	1.41
राजकीय सहायता ऋण	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	—
उधार						
(1) भारत सरकार से	25.75	44.75	66.75	77.13	124.85	163.50
(2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से	—	—	7.52	8.39	38.20	65.60
(i) अल्पावधि	—	—	7.52	3.39	3.70	11.60
(ii) दीर्घावधि	—	—	—	5.00	34.50	54.00
(3) बांड और डिबेंचर दिया गया पुनर्वित	—	10.94	19.46	27.71	38.71	66.21
(शुद्ध)	30.40	58.89	88.93	123.41	216.14	309.74
(1) डिबेंचर	27.85	54.60	81.24	109.64	195.60	271.51
(2) ऋण	2.55	4.29	7.69	13.77	20.54	38.23
अन्य आस्तियां	1.22	1.59	2.58	3.60	6.32	9.29
निवेश और नकदी आरक्षित राशियां	0.52	2.50	10.03	0.02	0.04	0.08
सकल आय	1.10	2.73	4.27	6.06	9.24	15.53
कराधान के पहले लाभ	0.48	0.67	0.69	1.09	1.71	3.09
देय कर	0.26	0.37	0.34	0.58	0.89	1.60
कराधान के बाद लाभ	0.22	0.30	0.35	0.51	0.81	1.49
अदा किया गया लाभांश	0.21	0.21	0.21	0.31	0.44	0.66

सारणी 1

पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

प्रयोजन	1963-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
लघु सिंचाई	1.29	11.54	22.33	23.06	26.74	84.18	85.30	254.44
	(10.20)	(64.69)	(78.08)	(75.31)	(76.44)	(89.42)	(87.12)	(80.33)
भूमि विकास तथा भूमि संरक्षण	10.12	3.76	3.32	4.37	2.37	2.30	1.78	28.02
	(80.00)	(21.08)	(11.61)	(14.27)	(6.77)	(2.44)	(1.82)	(8.85)
कृषि मशीनीकरण	0.03	0.11	0.16	0.11	0.36	2.18	3.75	6.70
	(0.24)	(0.62)	(0.56)	(0.36)	(1.03)	(2.32)	(3.91)	(2.14)
बागन और बागवानी	1.01	1.06	1.50	1.99	2.05	1.49	2.19	11.29
	(7.98)	(5.94)	(5.24)	(6.50)	(5.86)	(1.58)	(2.24)	(3.57)
मुर्गीपालन और भेड़पालन	(—)	0.01	0.06	(—)	(—)	0.15	0.09	0.31
	(—)	(0.06)	(0.21)	(—)	(—)	(0.16)	(0.09)	(0.09)
मछली पालन	0.20	0.36	0.36	0.37	0.59	0.12	0.86	2.86
	(1.58)	(2.02)	(1.26)	(1.21)	(1.69)	(0.13)	(0.87)	(0.91)
डेरी विकास	(—)	(—)	(—)	(—)	0.39	0.26	1.47	1.47
	(—)	(—)	(—)	(—)	(1.11)	(0.28)	(0.83)	(0.46)
भांडार सुविधायें और बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड)	(—)	1.00	0.87	0.72	2.48	3.46	2.93	11.46
	(—)	(5.60)	(3.04)	(2.35)	(7.09)	(3.68)	(3.00)	(3.62)
कृषि विमानन	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	0.12	0.12
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(0.12)	(0.03)
जोड़	12.65	17.84	28.60	30.62	34.98	94.13	97.84	316.67
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(110.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत हैं ।

सारणी 2

पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

एजेंसी	1963-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
राज्य भूमि विकास बैंक	11.90	15.95	26.75	26.65	28.39	86.14	77.76	273.54
	(94.07)	(89.41)	(93.53)	(87.00)	(81.16)	(91.50)	(79.48)	(86.37)
(जिसमें अं० वि० संघ की सहायता का अंश)	—	—	—	—	(5.37)	(63.58)	(52.92)	(121.87)

सारणी 2—जारी (करोड़ रुपयों में)

एजेंसी	1963–68	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.55	0.53	0.56	2.78	3.26	4.49	17.36	29.53
	(43.5)	(2.97)	(1.96)	(9.08)	(9.32)	(4.77)	(17.74)	(9.34)
(जिसमें अं० पु० वि० बैंक की सहायता का अंश)	—	—	—	(1.11)	(0.08)	(0.04)	(0.01)	(1.24)
(जिसमें अं० वि० संघ की सहायता का अंश)	—	—	—	—	—	—	(3.42)	(3.42)
	0.20	**1.36**	**1.29**	**1.19**	**3.33**	**3.51**	**2.72**	**13.60**
राज्य सहकारी बैंक	(1.58)	(7.62)	(4.51)	(3.92)	(9.52)	(3.73)	(2.78)	(4.29)
जोड़	12.65	17.84	28.60	30.62	34.98	94.13	97.84	316.67
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।

कृषि पुनर्वित्त निगम

ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 1973-74

जुलाई 1973 से जून 1974 तक के वर्ष के दौरान निगम ने 98 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता वितरित की है। (सारणी 1) इसमें तमिलनाडु भूमि विकास बैंक द्वारा अपने 'सामान्य' कार्यक्रम के अधीन वितरित किये गये ऋणों में से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) कृषि ऋण परियोजना के लिए अंतरित 6 करोड़ रुपये शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान वितरण की कुल राशि 94 करोड़ रुपये थी जिसमें भूमि विकास बैंकों के 'सामान्य' कार्यक्रमों में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के लिए अन्तरित 29 करोड़ रुपये शामिल हैं। दोनों वर्षों में इन अंतरणों को छोड़कर इस वर्ष के दौरान उक्त वितरण 42 प्रतिशत बढ़ गया है।

1.2 पुनर्वित्त के वितरण का सबसे अधिक भाग उत्तर प्रदेश (15 करोड़ रुपये) को दिया गया है और इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र (13 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (अं० वि० संघ) परियोजना को अंतरित राशि को छोड़कर (11 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (11 करोड़ रुपये) आते हैं। गुजरात और हरियाणा प्रत्येक को 8 करोड़ रुपये और बिहार तथा मध्य प्रदेश प्रत्येक को 6 करोड़ रुपये दिये गये हैं। (सारणी 3) निगम ने पहली बार नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा को पुनर्वित्त वितरित किया है। उसने केरल में कुट्टनाड भूमि उद्धार योजना के लिए भी पहली बार वितरण किया है।

1.3 निगम के आरंभ से लेकर अब तक सबसे अधिक फायदा पाने वाले राज्य इस प्रकार हैं। गुजरात (44 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (42 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (39 करोड़ रुपये), पंजाब और आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 33 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (32 करोड़ रुपये), हरियाणा (31 करोड़ रुपये), कर्नाटक (25 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश (13 करोड़ रुपये)। मध्य क्षेत्र में वितरण शीघ्रता से जोर पकड़ रहा है जब कि पूर्वी क्षेत्र का अंश बिहार में अधिक वितरण के कारण थोड़ा सा बढ़ा है।

1.4 जिन प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है उनमें लघु सिंचाई मुख्य प्रयोजन बना हुआ है, (सारणी 1) हालांकि इसका सापेक्ष महत्व अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा बदल गया है। गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लघु सिंचाई की जिन परियोजनाओं के लिए अं० वि० संघ से सहायता दी गई है उनके प्रारंभिक चरण की प्रायः समाप्ति के कारण इस प्रयोजन के लिए उनकी आवश्यकताओं में कमी हुई है किन्तु कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जहाँ, अं० वि० संघ से सहायता प्राप्त कार्यक्रम हाल ही में प्रारम्भ हुए हैं, वहां लघु सिंचाई में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। भूमि विकास और भूमि संरक्षण की योजनाओं में संगठनात्मक और अन्य कठिनाइयों के कारण अधिक प्रगति नहीं हुई है। अन्य प्रयोजनों में से कृषि मशीनीकरण, बागान और बागवानी की योजनाओं में वृद्धि हुई है। पंजाब और हरियाणा परियोजनाओं के संबंध में कृषि मशीनीकरण के लिए अं० वि० संघ के ऋण से संबंधित क्रियाविधि संबंधी ब्योरा तय कर लिया गया है। बैंकों द्वारा बागान और बागबानी में, विशेषतः दक्षिणी राज्यों में, अधिक रुचि दिखाई जा रही है। डेरी योजनाओं में कम प्रगति हुई है क्योंकि अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं को प्राप्त करने में कृषकों को कठिनाई हुई है। चारे दाने की अधिक कीमतों के कारण मुर्गी-पालन खर्चीला हो गया है। मछली पालन योजनाएँ भी पर्याप्त विस्तार कार्य और राज्य-सहायता के अभाव में जोर नहीं पकड़ पायी हैं।

सारणी 3

पुनर्वित्त का राज्यवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	1963-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
I. उत्तरी क्षेत्र								
दिल्ली	--	--	0.06	--	--	--	0.07	0.13
	(--)	(--)	(0.21)	(--)	(--)	(--)	(0.07)	(0.04)
हरियाणा	0.59	2.44	2.63	3.62	3.26	10.20	8.03	30.77
	(4.66)	(13.68)	(9.20)	(11.82)	(9.32)	(10.84)	(8.21)	(9.72)
हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--	0.04	0.40
	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(0.04)	(0.01)
जम्मू और कश्मीर	0.11	0.21	0.20	0.11	0.07	--	--	0.71
	(0.87)	(1.18)	(0.70)	(0.36)	(0.20)	(--)	(--)	(0.23)
पंजाब	0.76	5.77	6.54	5.56	3.86	6.07	4.89	33.44
	(6.01)	(32.34)	(22.88)	(18.16)	(11.03)	(6.45)	(5.00)	(10.56)
राजस्थान	--	0.06	0.77	0.77	0.83	1.36	2.83	6.62
	(--)	(0.34)	(2.69)	(2.51)	(2.37)	(1.45)	(2.89)	(2.09)
	1.46	8.48	10.20	10.06	8.02	17.63	15.86	71.71
	(11.54)	(47.54)	(35.68)	(32.85)	(22.92)	(18.74)	(16.21)	(22.65)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
असम	0.26	0.44	0.04	--	0.32	--	0.29	1.34
	(2.06)	(2.47)	(0.14)	(--)	(0.91)	(--)	(0.29)	(0.42)
मेघालय	--	--	--	--	--	--	--	--
	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
नागालैंड	--	--	--	--	--	--	0.04	0.04
	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(0.04)	(0.01)
	026	0.44	0.04	--	0.32	--	0.33	1.38
	(2.06)	(2.47)	(0.14)	(--)	(0.91)	(--)	(0.33)	(0.43)
III. पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	--	0.18	0.61	1.13	0.67	1.54	5.85	9.99
	(--)	(1.01)	(2.13)	(3.69)	(1.92)	(1.63)	(5.98)	(3.16)
उड़ीसा	--	0.04	0.18	0.06	0.08	0.11	0.08	0.55
	(--)	(0.22)	(0.63)	(0.20)	(0.23)	(0.11)	(0.08)	(0.18)
पश्चिम बंगाल	--	0.02	0.01	0.10	0.05	0.04	0.22	0.43
	(--)	(0.11)	(0.03)	(0.33)	(0.14)	(0.04)	(0.22)	(0.13)
	--	0.24	0.80	1.29	0.80	1.69	6.15	10.97
	(--)	(1.34)	(2.79)	(4.22)	(2.29)	(1.78)	(6.28)	(3.47)

सारणी 3 (चालू)

पुनर्वित्त का राज्यवार वितरण

करोड़ रुपयों में

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	1963-64	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
4. मध्य क्षेत्र								
मध्य प्रदेश	—	0.31	0.49	0.91	1.87	3.19	6.45	13.23
	(—)	(1.74)	(1.71)	(2.97)	(5.35)	(3.38)	(6.60)	(4.18)
उत्तर प्रदेश	—	1.22	2.56	2.93	6.04	11.43	14.98	39.16
	(—)	(6.84)	(8.95)	(9.57)	(17.27)	(12.15)	(15.32)	(12.36)
	—	1.53	3.05	3.84	7.91	14.62	21.43	52.39
	(—)	(8.58)	(10.66)	(12.54)	(22.62)	(15.53)	(21.92)	(16.54)
5. पश्चिमी क्षेत्र								
गोवा	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(0.03)	(0.01)
गुजरात	0.14	1.93	1.31	1.90	2.62	27.94	7.88	43.73
	(1.11)	(10.82)	(4.58)	(6.21)	(7.49)	(29.68)	(8.05)	(13.81)
महाराष्ट्र	1.08	0.81	3.49	2.33	4.56	7.32	12.71	32.31
	(8.54)	(4.54)	(12.21)	(7.61)	(13.04)	(7.78)	(13.00)	(10.20)
	1.22	2.74	4.80	4.23	7.18	35.26	20.62	76.07
	(9.65)	(15.36)	(16.79)	(13.82)	(20.53)	(37.46)	(21.08)	(24.02)
6. दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	(6.37)	1.72	6.07	3.42	2.85	8.47	4.23	33.13
	(50.36)	(9.64)	(21.23)	(11.17)	(8.15)	(9.00)	(4.32)	(10.47)
कर्नाटक	1.25	1.36	1.66	2.74	3.25	4.05	10.99	25.31
	(9.88)	(7.62)	(5.81)	(8.95)	(9.29)	(4.31)	(11.24)	(8.00)
केरल	0.10	0.07	0.35	0.82	0.97	0.28	1.03	3.61
	(0.79)	(0.39)	(1.22)	(2.68)	(2.77)	(0.29)	(1.05)	(1.13)
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	0.08	0.08
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(0.08)	(0.02)
तमिलनाडु	1.99	1.26	1.62	4.22	3.68	12.13	17.12	42.02
	(15.73)	(7.06)	(5.67)	(13.78)	(10.52)	(12.89)	(17.49)	(13.27)
	9.71	4.41	9.70	11.20	10.75	24.93	33.45	104.15
	(76.76)	(24.71)	(33.93)	(36.58)	(30.73)	(26.49)	(34.18)	(32.89)
कुल जोड़	12.65	17.84	28.60	30.62	34.98	94.14	97.84	316.67
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

1.5 पुनर्वित्त के वितरण के लिए भूमि विकास बैंक (भू० वि० बैंक) प्रमुख एजेंसी बने रहे हैं। इस वर्ष के दौरान उनके द्वारा 78 करोड़ रुपये की राशि अथवा 79 प्रतिशत पुनर्वित्त का वितरण किया गया है। (सारणी 2) निगम की स्थापना से लेकर अब तक इन संस्थाओं को किये गये वितरण की कुल राशि 274 करोड़ रुपये अथवा 86 प्रतिशत होती है। इधर कुछ समय से वाणिज्य बैंकों का कार्य काफी उत्साहवर्धक रहा है। वर्ष के दौरान उनके द्वारा 17 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं। (यह राशि कुल वितरण का लगभग 18 प्रतिशत है।) यह राशि गत वर्ष के दौरान उन्हें वितरित किये गये 4.5 करोड़ रुपये की राशि से लगभग चौगुनी है। निगम की स्थापना से लेकर अब तक उनके अंश की राशि 29.5 करोड़ रुपये अथवा 9 प्रतिशत होती है। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राशि गत वर्ष के 3.51 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 2.72 करोड़ रुपये है।

1.6 इस वर्ष के वितरण की 98 करोड़ रुपयों की राशि संदर्श कार्यक्रम के भाग के रूप में गत वर्ष की 120 करोड़ रुपयों की अनुमानित राशि से कम है। वास्तव में पांच राज्यों (तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात) में प्रत्याशा से अधिक वितरण हुआ है और छः अन्य राज्यों (पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार) में प्रत्याशा से 50 प्रतिशत से भी कम का वितरण हुआ है। यह कमी पूर्वी (बिहार को छोड़कर) और पूर्वी उत्तर क्षेत्रों तथा जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में ही केन्द्रित रही है। (सारणी 3)

1.7 इस वर्ष के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत निगम की कुल आहरणों की राशि उसके इस वर्ष के बायदों के 188 करोड़ रुपयों का 52 प्रतिशत है जबकि गतवर्ष यह राशि 47 प्रतिशत थी। (विवरण 1) लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत किये गये आहरण संतोषप्रद थे किन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए विशेषकर भूमि विकास, डेरी और मुर्गीपालन विकास की योजनाओं के अंतर्गत कम से कम सहायता प्राप्त की गई है।

1.8 योजना आयोग की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निगम के लिए मूलतः 200 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 1971 में योजना का जो मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है, उसमें इस कार्यक्रम को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है और उसमें अं० वि० संघ परियोजनाओं के अधीन प्रत्याशित वितरणों को शामिल कर लिया गया है। चतुर्थ योजना अवधि (अप्रैल 1969—मार्च 1974) के दौरान निगम ने वस्तुतः 249 करोड़ रुपये वितरित किये हैं जिसमें से 102 करोड रुपये अथवा 41 प्रतिशत राशि अं० वि० संघ द्वारा सहायता की गई परियोजनाओं के लिए दी गई है और 167 करोड़ रुपये अथवा 67 प्रतिशत की राशि अंतिम दो वर्षों में वितरित की गई है। (सारणी 4)

सारणी 4

करोड़ रुपये

वर्ष	योजनाओं की	वित्तीय	कृ० पु० निगम के	वितरण		
(अप्रैल-मार्च)	संख्या	सहायता	वायदे	सामान्य	अं० वि० संघ	जोड़
1969-70	113	65.70	47.68	26.29	—	26.29
1970-71	89	60.08	51.62	24.87	—	24.87
1971-72	199	64.30	65.80	27.96	3.16	31.12
1972-73	227	135.53	119.32	33.90	19.55	53.45
					+23.79*	+23.79
1973-74	389	212.22	187.43	34.26	49.54	83.80
					+5.63*	+5.63
जोड़	1017	537.83	471.85	147.28	101.67	248.95
1963-69	225	179.01	153.82	25.03	—	25.03
कुल जोड़	1242	716.84	625.67	172.31	101.67	273.98

*यह राशि इस वर्ष के दौरान सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम से अं० वि० संघ की परियोजनाओं की किये गये अंतरणों की राशि है।

1.9 यद्यपि योजना के चौथे वर्ष के अंत तक स्वीकृत अं० वि० संघ के परियोजना कार्यक्रम में 262 करोड़ रुपये उधार देने के कार्यक्रम को परिकल्पना की गयी थी परंतु परियोजना-उधार में अंतर्निहित प्रारंभिक कार्य तथा तकनीकी और वित्तीय नियंत्रणों के अपनाये और लागू किये जाने में समय लगा है। इनके अंतर्गत होने वाला कार्य और अच्छा हुआ होता बशर्ते कि कतिपय वायदे पूरे हो गये होते। उदाहरणार्थ अं० वि० सं० परियोजना के कृषि मशीनीकरण घटक के अधीन कतिपय कार्यविधि संबंधी कठिनाइयों के कारण प्रत्याशित वितरण का काफी भाग वितरित नहीं हुआ। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत भूमि विकास कार्यक्रम की भूमि की अधिकतम सीमा के विधान, नहरों में पानी के अपर्याप्त मात्रा में छोड़े जाने तथा उधारकर्ताओं द्वारा भूमि विकास बैंकों के नाम पर बंधकों का निर्माण किये जाने की कठिनाइयों जैसे कारणों के कारण धीमी गति से चले हैं। योजना लक्ष्यों की तुलना में कमी होने का यही कारण है।

1.10 निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 317 करोड़ रुपयों के कुल वितरण किये हैं जो सदस्य बैंकों, राज्य सरकारों, अंतिम हिताधिकारियों के अंशदानों सहित लगभग 400 करोड़ रुपये होते हैं। विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के आधार पर भौतिक उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गयी है।

नलकूप	90,000	यूनिट	
खोदे गये कुए	154,000	यूनिट	
बिजली के पंपसेट/तेल इंजन	204,000	यूनिट	

	हेक्टेयर		हेक्टेयर
चाय	1,320	नारियल	12,000
काफी	4,700	सुपारी	925
रबर	1,200	सेब	6,500
इलायची	1,250	नीबू प्रजाति के फल और अन्य फल	3,475

निगम ने अपने कार्यकलाप के 11 वर्षों के दौरान 6.8 लाख हेक्टेयर भूमि को बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत लाने में सहायता की है। बड़ी सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र के अधीन विकसित भूमि (3.5 लाख हेक्टेयर) और भूमि संरक्षण योजनाओं के अधीन उन्नत किये गये क्षेत्र (2.2 लाख हेक्टेयर) की पिछले वर्ष की स्थिति में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। बागान और बागबानी को विभिन्न योजनाओं के अधीन विकसित कुल क्षेत्र 31,400 हेक्टेयर तक है। जिन अन्य कार्य कलापों के लिए निगम द्वारा पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गयी है वे नीचे लिखे अनुसार हैं :

भांडार और बाजार केन्द्र 8.9 लाख मीटरी टन क्षमता

ट्रैक्टर	3,70	यूनिट
कंबाइन और फसल काटने की मशीनें	54	यूनिट
बुलडोजर	61	यूनिट
जालपोत/यंत्रीकृत नावें	546	यूनिट
दुधारू पशु	8,300	पशु
मुर्गीपालन से संबंधित पक्षी	1.26	चूजे

स्वीकृतियां

स्वीकृतियों की प्रवृत्ति यह प्रमाणित करती है कि गत वर्ष उल्लेख किये गये संदर्श कार्यक्रम के प्रति विश्वास में औचित्य है। गत वर्ष मंजूर की गई 197 करोड़ रुपयों की सहायता और 172 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 230 योजनाओं के मुकाबले इस वर्ष के दौरान निगम ने 251 करोड़ रूपयों की वित्तीय सहायता और 220 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 550 योजनाएं मंजूर की है। (विवरण 2) योजनाओं की कुल संख्या में लघु सिंचाई की योजनाओं का प्रतिशत 58 है और उनके वायदे की राशि 188 करोड़ रुपये अथवा कुल वायदों का 8 7 प्रतिशत है। इनमें से 105 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 193 योजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कार्यान्वित की जानी है जहां इस वर्ष के दौरान अं० वि० संघ द्वारा सहायता किया गया नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। (विवरण 3) लघु सिंचाई को छोड़कर अन्य प्रयोजनवाली योजनाओं की संख्या 233 है और इनकी वायदा राशि 32 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में से करीब 82 प्रतिशत योजनायें वाणिज्य बैंकों द्वारा भेजी गई हैं।

2.2 इस वर्ष के दौरान भूमि विकास बैंकों के लिए स्वीकृत योजनाओं की संख्या 139 है जो कि पिछले वर्ष स्वीकृत 116 योजनाओं से थोड़ी सी अधिक है। (विवरण 4) इन योजनाओं के लिए निगम की वायदा राशि 133 करोड़ रुपये है जो कि पिछले वर्ष के 145 करोड़ रुपयों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। हाँ, वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत योजनाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वे गत वर्ष की 104 योजनाओं से बढ़कर 407 हो गई हैं और इसके साथ ही उनकी वायदा राशि में तदनुरूपी वृद्धि हुई है और वह 25 करोड़ रुपयों से बढ़कर 85 करोड़ रुपये हो गयी है। राज्य सहकारी बैंकों की केवल 4 योजनायें स्वीकृत की गई हैं। ये बैंक कृषि निवेशों के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान करने के हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं।

2.3 30 जून 1974 तक स्वीकृत 1457 योजनाओं में से 730 योजनाएँ भूमि विकास बैंकों के लिए 680 योजनाएँ वाणिज्य बैंकों द्वारा क्रियान्विति के लिए और 47 योजनाएँ राज्य सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृत की गयी हैं। (विवरण 7) स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 704 करोड़ रुपयों की कुल वायदा राशि में से भू० वि० बैंकों और वाणिज्य बैंकों के वायदों की राशि क्रमशः 537 करोड़ रूपये और 141 करोड़ रुपयें अथवा 76 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन :

राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

2.4 निगम ने विभिन्न राज्यों के बीच निवेश के असंतुलन को ठीक करने के लिए जो प्रयत्न किये हैं उनके परिणाम सामने आने लगे हैं। मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा अन्यक्षेत्रों के अल्प विकसित राज्यों में स्वीकृत योजनाओं की संख्या में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इसके कारण वे निगम की स्थापना से लेकर अब तक स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या का

एक तिहाई हो गई हैं। इन योजनाओं के संबंध में निगम की कुल वित्तीय सहायता और वायदा राशि क्रमशः 308 करोड़ रुपये और 272 करोड़ रुपये अथवा कुल स्वीकृतियों का क्रमशः 38.2 प्रतिशत और 38.6 प्रतिशत है। (विवरण 6) इस समूह के राज्य/संघ शासित क्षेत्र तीन वर्गों में आते है (i) वे राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ निगम के प्रयत्नों की प्रतिक्रिया हुई है, (ii) वे राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ काफी प्रतिक्रिया हुई है परंतु अभी परिणाम सामने आने है और अंततः (iii) वे राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ प्रतिक्रिया अनिच्छापूर्ण अथवा बहुत कम हुई है।

2.5 पहले वर्ग में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, और बिहार आते हैं जहाँ प्रतिक्रिया की शुरुआत दृष्टिगोचर हुई है। इन तीन राज्यों को कुल वायदों का 32 प्रतिशत और कुल वितरण की 20 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई है। इन राज्यों में अं० वि० संघ के सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के शुरू किये जाने के कारण उनकी निष्पत्ति में सुधार हुआ है। दूसरे वर्ग में राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल आते हैं। इन राज्यों ने अपने सहकारी ऋण विन्यास की कमजोरी के कारण कम प्रगति की है। इस वर्ष के दौरान राजस्थान में अं० वि० संघ से सहायता प्राप्त सिंचाई और भूमि विकास के दो कार्यक्रम प्रारंभ होनेवाले हैं। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में व्याप्त होनेवाले एक ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें लघु सिंचाई बाजार विकास और कृषि सेवा केन्द्र शामिल होंगे। उड़ीसा में उथले और गहरे नलकूपों हेतु एक विस्तृत लघु सिंचाई कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थायें तय हो चुकी है। इन तीनों राज्यों में वाणिज्य बैंकों द्वारा उत्तरोत्तर सहभागिता किये जाने पर जोर दिया जायेगा। निगम द्वारा किये गये सतत प्रयासों के बावजूद जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोराम, नागालैण्ड और त्रिपुरा में इस दिशा में शुरुआत के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इन राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए निवेश पूर्व सर्वेक्षणों का प्रबंध किया गया है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायता के लिए दिसंबर 1973 में कलकत्ता में एक पृथक् परामर्शदात्री सेवा स्थापित की गयी थी। कलकत्ता में बैंकरों का एक सम्मेलन तथा बैंकरों और राज्य सरकारों का दूसरा सम्मेलन अर्थात् दो सम्मेलन हुये हैं जिनमें विकास कार्यक्रम तथा उसकी कार्यान्विति में आनेवाली रुकावटों का पता लगाने तथा राज्य सरकारें उसकी कार्यान्विति में किस प्रकार सहायता कर सकती हैं इस पर विचार-विमर्श किया गया था। असम सरकार के यहाँ रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि वह योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर सके। इन क्षेत्रों के कृषकों को अब तक पूर्व मूल्यांकन और अंततः भुगतान करने के आग्रह के बिना उपदान के रूप में सरकारी निधियाँ प्राप्त होती थीं, पर वे सीमित होती थीं। इनके बदले में उन्हें विकासात्मक उद्देश्यों के लिए संस्थागत वित्तपोषण स्वीकार करने के हेतु तैयार करने में पर्याप्त आरम्भिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

2.6 निगम ने लघु और सीमांत कृषकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं की ओर विशेष ध्यान देना जारी रखा है। निगम ने इस वर्ष के दौरान पूर्वी और पूर्वी उत्तर क्षेत्रों की 11 योजनाओं सहित लघु कृषक विकास (एस० एफ० डी०) सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक (एम० एफ० ए० एल०) एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 42 योजनाएँ मंजूर की हैं। जून 1974 के अंत तक लघु कृषक विकास सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान में स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या 85 है और इनके लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित्तपोषण के आधार पर दी गई वित्तीय सहायता और कृ० पु० निगम के वायदे की राशि 39 करोड़ रुपये है। (विवरण 8) इनमें से 53 योजनाएँ भू० वि० बैंकों के माध्यम से और 29 योजनाएँ वाणिज्य बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी हैं। इनमें से 58 योजनाएँ लघु सिंचाई के निवेशों के लिए और शेष 27 योजनाएँ डेरी विकास (14), मुर्गीपालन (4), भेड़ पालन (2), भूमि विकास (2) तथा बागान और बागबानी (5) के लिए हैं।

2.7 इस वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत अहरित राशि 30 जून 1973 तक के 3.48 करोड़ रुपयों के मुकाबले 5.25 करोड़ रुपये है? वाणिज्य बैंकों ने केवल 35 लाख रुपयों की राशि ली है जब कि भू० वि० बैंकों द्वारा इस वर्ष के दौरान आहरित कुल राशि 4.90 करोड़ रुपये है। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, निगम ने 30 जून 1975 तक स्वीकृत इन योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करने का निश्चय किया है।

2.8 इन सभी योजनाओं विशेषतः लघु सिंचाई में अंतर्निहित उपदान तत्व के कारण इन योजनाओं को अं० वि० संघ की चालू परियोजनाओं के ढाँचे के अनुरूप नहीं बनाया जा सका। इसके बावजूद अं० वि० संघ की परियोजनाओं के अंतर्गत इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छोटे कृषकों को रियायती शर्तों पर उधार दिये जाने की व्यवस्था है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय बैंकों द्वारा मार्च 1974 के अंत तक छोटे कृषकों को वितरित ऋण की कुल राशि 2.24 करोड़ रुपये है।

इस वर्ष के महत्वपूर्ण निर्णय

कृ० पु० निगम अधिनियम की धारा 22(4) जैसी कि वह मूलतः बनाई गई है, में यह उपबंध है कि निगम द्वारा सदस्य बैंकों की स्वीकृत सभी वित्तीय निभाव के मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः और बिना शर्त की गारंटी दी जायेगी। परंतु उक्त धारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि ऐसे मामलों में इस प्रकार की गारंटी की आवश्यकता न होगी जिनमें योग्य संस्था ने निगम के बोर्ड को "अन्य जमानत" देकर संतुष्ट कर दिया हो। वाणिज्य बैंकों की स्वीकृत योजनाओं के लिए

निगम को गारंटी प्रदान करने में राज्य सरकारों की स्वाभाविक अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए निगम ने यह निश्चय किया है कि उनके मामले में "अन्य जमानत" का स्वरूप यह होना चाहिये कि स्वामित्वाधिकार को जमा करके अचल संपत्तियों को उपबन्धक रखा जाए और/अथवा चल संपत्तियों इत्यादि को उप दृष्टिबंधक रखा जाए। निगम की पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने वाले वाणिज्य बैंकों के मार्ग की कठिनाइयों में से एक यह है कि उनके द्वारा जमानत के रूप में प्राप्त संपत्तियों का निगम के नाम पर उपबंधक प्रभार निर्मित करने में क्रियाविधि संबंधी कठिनाइयाँ हैं। अतएव पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए जमानत संबंधी समस्याओं की ओर इस सुझाव के साथ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि संविधि में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

3.2 संसद् द्वारा पारित अधिनियम की धारा 22(4) का संशोधन 1 सितंबर 1973 से प्रभावी हुआ है। संशोधित धारा निगम के निदेशक बोर्ड को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर योग्य संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करने के लिए कृ० पु० निगम की ओर से ली जाने वाली सरकारी गारंटी और "अन्य जमानत" दोनों में छूट दे दे। बैंकों को अंतिम उधारकर्ता से ऐसी जमानत प्राप्त करनी होगी जिसे वे समय समय पर रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त करना उचित समझे परन्तु संशोधन में यह उपबंध है कि जिस विशेष लेन-देन के लिए निगम द्वारा पुनर्वित प्रदान किया गया है उसके लिए योग्य संस्थाओं द्वारा धारित अथवा धारण की जाने वाली सभी जमानतें निगम के नाम पर कानूनन अमानत रख दी जाये।

3.3 अगस्त 1967 में निगम ने यह निश्चय किया है कि उसके द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा जो विशेष विकास डिबेंचर जारी किये जाते है, उनमें राज्य सरकारों का अभिदान 25 प्रतिशत से घटा-कर कम से कम 10 प्रतिशत कर दिया जाए। यह रियायत वर्षानुवर्ष प्रदान की जाती रही है। लघु सिंचाई योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए निगम ने यह निश्चय किया है कि इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम अभिदान किये जाने की रियायत विशेष मामले के रूप में 30 जून 1976 तक लागू रखी जाए।

3.4 निगम ने पूर्वी और पूर्वी उत्तर क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के कृषि विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए सदस्य बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन राज्यों की सभी स्वीकृत योजनाओं के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता के 90 प्रतिशत तक का पुनर्वित्त प्रदान करने का निश्चय किया है जब कि अन्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए 75-80 प्रतिशत तक का ही पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

3.5 जब 25 जून 1973 से निगम के पुनर्वित्त की दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई तब सदस्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि अंतिम उधारकर्ताओं से वसूल की जानेवाली उधार-दर 9½ प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होनी चाहिए। अंतिम हिताधिकारियों से वसूल की जानेवाली ब्याज दरों में एकरूपता लाने और इन दरों में अपेक्षाकृत अधिक फैलाव रखने के उद्देश्य से सभी सदस्य बैंकों को मार्च 1974 में यह सूचित किया गया है कि वे निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं (अं० वि० सं० परियोजनाओं अंतर्गत आनेवाली योजनाओं को छोड़कर) के संबंध में निर्धारित ब्याज की दरें ही वसूल करें। लघु सिंचाई और भूमि विकास की योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की दर 9½ प्रतिशत वार्षिक है तथा कृषि मशीनीकरण, डेरी विकास, मछली पालन, पशु पालन, दस्तूरी सेवाएं मुर्गीपालन, भंडारण और बाजार केन्द्रों (मार्केट यार्डों) की योजनाओं के लिए यह दर 9½ से 10 प्रतिशत है। बागान और बागवानी योजनाओं के लिए यह दर 10½ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा कृषि विमानों की खरीद के लिए उच्चतम दर 10 प्रतिशत निर्दिष्ट की गयी है। छोटे कृषकों के मामले में खास तौर पर मुर्गीपालन, डेरी और पशुपालन योजनाओं के लिए उच्चतम दर 10 प्रतिशत निर्दिष्ट की गयी है। छोटे कृषकों के मामलों में, बैंकों को विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहें तो ब्याज की अपेक्षाकृत कम दर 9½ प्रतिशत लगा सकते हैं। अं० वि० संघ की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले बैंकों को भी अपनी दरें बढाकर 9½ प्रतिशत वार्षिक करने की स्वीकृति दी गयी है।

3.6 23 जुलाई 1974 को बैंक दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप देश को ब्याज दरों को सामान्य वृद्धि के संदर्भ में निगम ने अपनी योजनाओं के अधीन अंतिम हिताधिकारियों से सदस्य बैंकों द्वारा ली जानेवाली पुनर्वित्त दरों और साथ ही उधार देने की दरों पर पुनर्विचार किया है। 13 अगस्त 1974 को या इसके बाद स्वीकृत सभी योजनाओं के संबंध में लघु सिंचाई और भूमि विकास की योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की दर बढाकर 7½ प्रतिशत वार्षिक और अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। निगम की योजनाओं के अधीन बैंकों द्वारा अंतिम हिताधिकारियों से ली जानेवाली उधार की दरें लघु सिंचाई और भूमि विकास की योजनाओं के लिए 10½ प्रतिशत और अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए 11 प्रतिशत निर्धारित की गयी हैं। छोटे किसानों को विशेषकर मुर्गीपालन, डेरी और पशु पालन के अधीन दिये गये ऋणों के लिए 10½ प्रतिशत वार्षिक की अपेक्षाकृत कम दर से ब्याज लेने का विकल्प जारी रखा गया है।

3.7 जुलाई 1973 में निगम ने यह निश्चय किया है कि जो सहकारी समितियाँ वाणिज्य बैंकों के अंतर्गत आ गई हैं, उनके माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु सिंचाई के लिए कृषकों को दिये गये अथवा दिये जाने के लिए प्रस्तावित ऋणों के हेतु भी पुनर्वित्त प्रदान किया जाए। यह सुविधा अं० वि० सं० योजनाओं के अंतर्गत भी उपलब्ध होगी।

3.8 जुलाई 1971 से निगम ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों में प्रलेख-पोषण की एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसके अनुसार इन सभी बैंकों को 'सैद्धांतिक' (नोशनल) ऋण सीमा मंजूर की गयी है। जिन सामान्य शर्तों पर सैद्धांतिक ऋण सीमा के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान किया जायगा उनको निर्धारित करने वाले करार इन बैंकों के साथ कर लिये गये हैं। अब यह निश्चय किया गया है कि किसी सीमा अथवा किसी अवधि का उल्लेख किए बिना ही प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य और राज्य सहकारी बैंकों के साथ केवल एक करार किया जाये। यह प्रक्रिया 1 जुलाई 1974 से लागू हुई है।

अं० वि० संघ की परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान अं० वि० सं०/अं० वि० बैंक ने कृषि विकास के लिए पांच और परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिन के नाम इस प्रकार हैं—बिहार कृषि ऋण परियोजना हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना, कर्नाटक डेरी विकास परियोजना तथा राजस्थान नहर तथा चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना।

4.2 विश्व बैंक ने भारत सरकार की शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की इच्छा के अनुरूप प्रारम्भ से ही कृषि की दृष्टि से उन्नत ऐसे राज्यों में ऋण परियोजनाएं मंजूर की हैं जहां उन्नत प्रौद्योगिकी और अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रचार हो गया है तथा जहां भूमिगत जल साधनों का शीघ्र उपयोग किए जाने की क्षमता विद्यमान है। राजस्थान नहर और चंबल कमान क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति यह सुनिश्चित करने की युक्ति (स्ट्रेटजी) की द्योतक है कि वहीं सिंचाई परियोजनाओं द्वारा निर्मित जल क्षमता की अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था और उपयोग हो। ये दो परियोजनाएं देश में कमान क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित लगभग 50 परियोजनाओं में से पहली है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत ये कार्य आयेंगे—जल निकास की प्रणाली का निर्माण, जहां पानी अधिक रिसता हो, वहां नहरों की मेड़ें बनाना, नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण या सुधार, विकास तथा नालियों सहित खेत पर किए जाने वाले विकास तथा वनरोपण और भूक्षरण नियंत्रण जैसे अन्य सहायक कार्यकलाप। बिहार और कर्नाटक राज्यों की स्वीकृत बाजार केन्द्र परियोजना से अन्य राज्यों में इसी तरह का विकास करने के लिए उपयोगी अनुभव प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना और कर्नाटक डेरी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति कृषि निदेश के विशाखन में अं० वि० संघ की रुचि इंगित करती है।

4.3 जून 1974 के अन्त में विश्व बैंक समूह द्वारा सहायता की गई 18 परियोजनाओं में 10 कृषि ऋण परियोजनाएं, 2 कमान क्षेत्र की विकास परियोजनाएं, 2 बाजार केन्द्र परियोजनाएं, एक सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना, एक कृषि विभाजन परियोजना, एक डेरी विकास परियोजना और एक बीज परियोजना शामिल हैं। दो परियोजनाएं नामतः तराई बीज परियोजना और चंबल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना की सहायता अं० पु० वि० बैंक द्वारा की गई है जब कि शेष परियोजनाओं का वित्तपोषण अं० वि० संघ द्वारा किया जायेगा। विवरण 9 में इनमें से प्रत्येक परियोजना में परिकल्पित विकास की मदों, अंतर्निहित वित्तीय सहायता आदि का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है। प्रयोजनवार कुल उधार कार्यक्रम, अब तक किए गए वितरण और जून 1974 के अन्त तक अं० वि० संघ द्वारा वितरित की गयी राशियों की संक्षिप्त स्थिति निम्नलिखित सारणी 5 में प्रस्तुत की गई है, और विवरण 10 में प्रत्येक परियोजना की ब्यौरेवार स्थिति दर्शायी गयी है।

सारिणी 5

रुपये करोड़ों में

प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृ० पु० निगम के कार्यक्रम के लिए अं० वि० संघ की सहायता की राशि	30 जून 1974 को कृ० पु० निगम द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त	30 जून 1974 को भारत सरकार के माध्यम से अं० वि०संघ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि
1. लघु सिंचाई	266.01	159.70	119.61	78.02
2. भूमि विकास	30.61	20.62	2.40	2.74
3. कृषि मशीनीकरण	88.29	45.05	3.03	1.87
4. बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) विकास	22.83	15.70	—	—
5. शीघ्र खराब होने वाली बागबानी उत्पादों का अभिसंस्करण और विपणन	4.52	3.72	—	—
6. डेरी विकास	27.50	16.72	—	—
7. कमान क्षेत्र का विकास	30.14	13.80	—	—
8. कृषि विमानन	5.29	2.48	—	—
9. कृषि उत्पादन	9.27	6.75	1.24	1.23
कुल जोड़	484.46	284.54	126.28	83.86

4.4 निगम द्वारा वर्ष के अन्त तक अं० वि० संघ/अं० पु० वि० बैंक योजनाओं के अन्तर्गत कुल, 126 करोड़ रुपयों का सकल वितरण किया गया है। 1971–72 के दौरान 5.4 करोड़ रुपये की वितरित राशि के बाद वितरण की गति में काफी वृद्धि हुई है और वह 1972–73 के 63.6 करोड़ रुपयों से और अधिक बढ़ कर 1973–74 में 56.3 करोड़ रुपये हो गयी है। कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई कार्यक्रम की कार्यान्विति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हरियाणा, तामिल नाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में लघु सिंचाई के निवेशों के ऋण विनिधान को खपाने के लिए आवश्यक वितरण पूरे हो गये हैं अथवा लगभग पूरे होने वाले हैं। अं० वि० संघ ऋण में से विभिन्न वर्गों के लिए किये गये विनिधान में इस दृष्टि से कोई आग्रह नहीं किया जाता है कि भूमि विकास और मशीनें तथा कृषि मशीनीकरण के साज-सामान जैसी मदों के लिए खर्च न किये गये विनिधान का लघु सिंचाई के लिए फिर से विनिधान किया जा सकता है बशर्ते कि उनके उपयोग में कमी की आशंका हो। अतएव इन परियोजनाओं में अन्य वर्गों से लघु सिंचाई वर्ग के अंतरण किये जाने की संभावना है। निगम विश्वासपूर्वक यह आशा करता है कि इन विनिधानों के अपेक्षाकृत अधिक तेजी से उपयोग किये जाने के कारण वह इन परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान पूरी हुई मान लेगा। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कृषि ऋण परियोजनाएं कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में हैं और उनके निर्धारित समय के अनुसार पूरे हो जाने की आशा है। दो बाजार परियोजनाओं से संबंधित प्रारंभिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उनकी कार्यान्विति के चालू वर्ष के दौरान जोर पकड़ने की आशा है। शेष जिन नई परियोजनाओं के बारे में हाल ही में समझौते किये गये हैं वे शीघ्र ही लागू हो जायेंगी। भारत सरकार की प्रार्थना पर कृषि विमानन ऋण रद्द कर दिया गया है।

4.5 विभिन्न राज्यों में अं० वि० संघ द्वारा सहायता की गयी परियोजनाओं की कार्यान्विति में सदस्य बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीतियों, प्रक्रियाओं और उधार की गुणात्मक मात्रा को युक्तियुक्त बनाये जाने की दिशा में और अधिक प्रोत्साहन मिला है। मूल्यांकन के मानकों को सरल और कारगर बना लिया गया है और किये गये निवेश द्वारा उत्पादित वृद्धिशाली आय से उन्हें सम्बद्ध कर दिया गया है। उधारकर्ता की अदायगी—क्षमता का अनुमान वृद्धिशील आय से लगाया जाता है और परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम अवधि के अधीन ऋण की अवधि का निर्धारण अदायगी—क्षमता के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ऋण की अधिकतम अवधि आस्तियों के उपभोग्य जीवन से संबद्ध की गयी है और जहां उपभोग्य अवधि अधिक होती है वहां उसे बैंकिंग के मानदण्डों और उधारकर्ता की अदायगी क्षमता के अनुकूल बना लिया जाता है। ट्रैक्टरों, कटाई की मशीनों गहरे कुओं आदि जैसे पूंजी प्रधान निवेशों के लिए बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निगम द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण के प्रत्येक आवेदन-पत्र का मूल्यांकन करें और तदनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर अदायगी की अवधियां निर्धारित करें।

4.6 बाद की परियोजनाओं अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और० बिहार में एक और वित्तीय नियंत्रण लागू किया गया है जो ऐसे भू० वि० बैंकों/प्राथमिक बैंकों की प्रबन्ध और वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित है जहां अतिदेयों का स्तर बहुत अधिक था। उक्त बैंकों की जिन शाखाओं और प्राथमिक भू० वि० बैंकों की वसूली का कार्य इस वर्ष के दौरान मांग के 75 प्रतिशत से कम रहा है उनको पुनर्वित्त प्रदान किये जाने की मनाही कर दी गयी है और इन बैंकों की शेयर पूंजी में राज्य सरकारों से उतना अभिदान करने के लिए कहा गया है जितना कि उनके अतिदेय की राशि के स्तर को मांग के 25 प्रतिशत तक लाने के लिए आवश्यक हो। इससे बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के लिए वातावरण का निर्माण करने में सहायता मिली है तथा संबंधित बैंकों द्वारा वसूली के लिए किए जाने वाली जोरदार अभियान को स्फूर्ति मिली है तथा इस प्रक्रिया में राज्य सरकार भी सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गयी है। परियोजना में यह अनुबंध है कि परियोजना की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले भू० वि० बैंक को उधार देने की उन्हीं शर्तों और मानदंडों का पालन करना चाहिए जो परियोजना के बाहर के इसी प्रकार के उधारों पर लागू होते हैं। इस अनुबंध से भी उधार देने के मानदंडों में एक रूपता आई है और उक्त बैंकों के कार्य-कलापों में गुणात्मक सुधार हुआ है।

4.7 परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटी सिंचाई के कार्यक्रम के संबंध में अपनाये गये तकनीकी अनुशासन से निगम द्वारा इस से पहले के वर्षों में अपनाये गये दृष्टिकोण को बल मिला है और इसके परिणामस्वरूप राज्यों में भूमिगत जल निदेशालयों की स्थापना की गयी है या उनको मजबूत बनाया गया है तथा भूमिगत जल की संभावित क्षमता के मूल्यांकन के लिए मान्य वैज्ञानिक रीति-विधान का पालन किया गया है। इससे जहां कहीं भी निवेशों का सांस्थानिक साधनों से वित्तपोषण किया गया है वहां भूमिगत जल साधनों का वैज्ञानिक ढंग से दोहन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके फलस्वरूप निरर्थक व्यय में पर्याप्त कमी हुई है। निगम ने अन्य बैंकों अर्थात् वाणिज्य और सहकारी बैंकों को इस बात के लिए हतोत्साह करने में भी पहल की है कि वे उन राज्यों की पूर्व तकनीकी अनुमति के बिना छोटे सिंचाई निवेशों का वित्तपोषण न करें जिनमें अ० वि० संघ की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि परियोजना द्वारा आरोपित तकनीकी और वित्तीय अनुशासन का वातावरण अन्य एजेंसियों द्वारा गंदला न बना दिया जाए।

4.8 इन परियोजनाओं में यह भी व्यवस्था की गई है कि छोटे किसानों को रियायती दर पर उधार दिया जाए ताकि वे इन परियोजनाओं में परिकल्पित निवेश कर सकें। ये रियायतें तत्काल अदायगी को कम (अन्य किसानों के लिए निर्धारित तत्काल अदायगी का लगभग आधा) करने और ऐसे ऋणों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पुगाई अवधियों (15 वर्षों तक) से संबंधित हैं जिनमें निवेश की लागत अथवा कुल निवेश में छोटे किसानों का व्यक्तिगत अंश 10,000 रुपयों से अधिक न हो।

4.9 कुछ और परियोजनाएं भी अं० वि० संघ के विचाराधीन हैं। ये परियोजनाएं हैं—(i) पश्चिम बंगाल की समेकित ग्रामीण विकास परियोजना, (ii) समेकित कपास विकास परियोजना, (iii) सूखाप्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम और (iv) मध्य प्रदेश और राजस्थान की डेरी विकास परियोजनाएं। जब अं० वि० संघ निगम को दिये जाने वाले ऋण की सामान्य रूप-रेखा पर विचार कर लेगा तब देश के कृषि विकास में उसके आर्थिक योगदान की भी पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। निगम ने अक्तूबर 1973 में अं० वि० संघ को 1977-78 को समाप्त होनेवाले पाँच वर्षों के लिए बनाई गई 900 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के विशाल उधार कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों का फरवरी-मार्च 1974 में अं० वि० संघ के एक शिष्ट मंडल द्वारा मूल्यांकन किया गया है। यद्यपि इस शिष्ट मंडल को निगम की परियोजनाबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था तथापि उसने यह अनुभव किया कि अतिदेयों की अत्यधिक प्रतिशत, वार्षिक उधार देने के प्राय: स्थायी स्तर और प्रबन्ध तथा कार्मिक कमजोरियों के कारण भूमि विकास बैंक आशाओं के अनुकूल कार्य करने में समर्थ न हो सकेंगे। इन समस्याओं को हल किया जा रहा है और भू० वि० बैंकों को दीर्घकालीन ऋण का समय माध्यम बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह आशा की जाती है कि इस ऋण के बारे में शीघ्र ही समझौता हो जायेगा।

विकास की सांस्थानिक प्रणाली

निगम द्वारा प्रदान किये गये पुनर्वित्त की व्याप्ति और मात्रा हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। एतएव इस बात की आवश्यकता है कि उसकी कार्यपद्धतियों और क्रियाविधियों का वैज्ञानिक पुनर्गठन किया जाए। निगम ने पिछले वर्ष अपने कार्य का विवेचन करने के लिए एक समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी। उसके विचार-विमर्शों तथा कर्मचारियों से उसके द्वारा किये गये परामर्श के आधार पर निगम को संगठन प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

5.2 अब प्रधान कार्यालय में दो परियोजना प्रभाग हैं और इनमें से प्रत्येक एक वरिष्ठ निदेशक के प्रभार में है। किसी राज्य से सम्बन्धित सभी योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आधार पर कार्यवाही की जाती है चाहे वे भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों की हों और उनका प्रयोजन चाहे कुछ भी क्यों न हो। इससे एक क्षेत्र के विकास के लिए सामान्य सोद्देश्य दृष्टिकोण अपनाने और कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए विभिन्न एजेंसियों के समन्वय में सुविधा होती है। इससे सम्बन्धित कार्य एक वरिष्ठ निदेशक को सौंपा गया है। लेखा और निधियों तथा प्रशासन दूसरे वरिष्ठ निदेशक के अधीन रखा गया है। प्रबन्ध सूचना, आयोजना और प्रशिक्षण, अं० वि० संघ के विशेष मामले और मूल्यांकन प्रबन्ध निदेशक के सीधे प्रभार में रखे गए हैं। तकनीकी कर्मचारियों, जिनके अन्तर्गत भूमिगत जल, भू-संरक्षण, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के विशेषज्ञ आते हैं, को एक समन्वयकर्ता के अधीन रखा गया है जो सीधे ही प्रबन्ध निदेशक को रिपोर्ट देता है।

5.3 मई 1973 से गौहाटी में निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने से लेकर अब तक प्रत्येक प्रमुख राज्य में उसका एक एक कार्यालय हो गया है। जहां कहीं आवश्यक था वहां स्थानीय एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाएं तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने में सहायता पहुंचाने के लिए इन कार्यालयों को पुनर्गठित किया गया है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन भागों में निगम की संवर्धन भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहां इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से सहायता की उपयोगिता और उसका निरीक्षण करने तथा अध्ययन के दौरान पता लगी विशेष प्रतिकूल बातों को ठीक करने की दिशा में संयुक्त प्रयत्न किये जा रहे हैं।

5.4 निदेशक मंडल ने प्रबन्ध निदेशक को स्वीकृति के व्यापक अधिकार प्रदान किये हैं। वे उस अनौपचारिक प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष भी हैं जिसमें उनके अलावा अन्य वरिष्ठ निदेशक भी हैं। समिति वर्तमान विकासों पर विचार-विमर्श करती है, नीति विषयक प्रश्नों की क्रियाविधि तैयार करती है और सरलीकृत सूचना व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखती है। यह समिति प्रत्येक योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए आगे और भी पुनर्गठित की जा रही है।

5.5 इन उपायों के कारण निगम के लिए यह संभव हो सका है कि वह उसे प्राप्त योजनाओं की अधिक सोद्देश्य परीक्षा कर सके तथा स्वीकृतियों को शीघ्रता से सूचित कर सके।

भूमि विकास बैंक

5.6 चूंकि भूमि विकास बैंक सहायता के वितरण के मुख्य माध्यम हैं अतएव निगम ने उनकी कार्य निष्पत्तियों काम-काज और प्रबन्ध व्यवस्था में गहरी दिलचस्पी ली है। इन बैंकों के जो अतिदेय 1969–70 में 12.89 करोड़ रुपये थे, वे 1972–73 में भयंकर रूप से बढ़कर 76.33 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गए हैं। मांग की प्रतिशत के रूप में अर्थात् अदायगी के लिए बकाया राशि से अतिदेयों का प्रतिशत 1969–70 के 21 प्रतिशत से बढ़कर 1972–73 में 42 प्रतिशत हो गया है। इन अतिदेयों का बहुत अधिक भाग सूखे की भयंकर परिस्थितियों या दैवी विपत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ है। परंतु उनकी खराब स्थिति के लिए आन्तरिक कमजोरियां और निष्प्रभावी वसूली भी जिम्मेदार हैं। निगम और रिजर्व बैंक ने बैंकों और राज्य सरकारों को इस बात का महत्व बतलाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न किये हैं कि वसूली के कार्य में सुधार लाने के लिए जोश-खरोश से कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि 1973–74 के लिए अब तक पक्के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं तथापि कुछ राज्यों में प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों से यह भी पता लगता है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में वसूली कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

5.7 इस बात पर जोर देकर कि लघु सिंचाई योजनाओं के पहले से तकनीकी अनुमति ली जाए, निगम भूमि विकास बैंकों को इस बात के लिए राजी कर सका है कि वे भूमिगत जलसाधनों के सुनियोजित दोहन के लिए अनुशासन का पालन करें। अब अधिकांश राज्यों में भूमिगत जल निदेशालय स्थापित हो चुके हैं और उन पर जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ काम आ पड़ा है उसको देखते हुए उनके कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि भी की गई है।

5.8 कुछ भूमि विकास बैंकों ने तकनीकी अनुशासन का पालन करने और मूल्यांकन रीति-विधान का मानकीकरण करने की सुविधा के लिए तकनीकी कक्षों का निर्माण किया है और कृषि अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति की है। कृषकों द्वारा फसलों के जिन उन्नत तरीकों को अपनाए जाने और उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों जैसी फसल बढ़ानेवाली जिन चीजों के अधिकाधिक उपयोग किये जाने पर ही अतिरिक्त उत्पादन, आय और रोजगार की दृष्टि से कृषि निवेश लाभकर होगा—उनका अपनाया जाना और उपयोग अन्ततः राज्य सरकारों की विस्तार एजेंसियों द्वारा किये गये प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके निगम उन पर यह जोर डालने का प्रयत्न कर रहा है कि वे विस्तार और खेती की उपज बढ़ानेवाली चीजों की पूर्ति के अपने तंत्र को सशक्त बनायें।

वाणिज्य बैंक

5.9 पिछले वर्षों में निगम ने वाणिज्य बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के अनेक उपाय किये हैं कि वे अधिक मात्रा में तकनीकी सहायता और पुनर्वित्त का उपयोग करें। प्रारम्भिक वर्षों में उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी परन्तु हाल ही में उसमें काफी सुधार हुआ है। अब 29 वाणिज्य बैंकों ने निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त की हैं और इनमें से 22 बैंक अं० वि० संघ द्वारा सहायता किये गये कार्यक्रमों के अधीन उधार देने में सहभागिता कर रहे हैं। इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये कुल पुनर्वित्त की राशि 29.5 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष के अन्त में यही राशि 12 करोड़ रुपये थी। निगम द्वारा प्रदान किये गये कुल पुनर्वित्त में उनका प्रतिशत भाग पिछले वर्ष के 5.6 से बढ़कर 1973–74 में 9.3 प्रतिशत हो गया है। इस वर्ष के दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इन बैंकों ने उल्लेखनीय वितरण किये हैं। उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लघु सिंचाई के लिए अं० वि० संघ द्वारा सहायता किए गए कार्यक्रमों और कर्नाटक डेरी विकास, हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन, राजस्थान के कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित नये कार्यक्रमों में एक निश्चित और वर्धमान भूमिका सौंपी गयी है। जिन राज्यों में सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर है, वहां निगम ने वाणिज्य बैंकों द्वारा भाग लिये जाने पर अधिकाधिक भरोसा किया है। एक ओर जहां अन्य बातों के साथ लघु सिंचाई कार्यक्रमों में उनका योगदान बहुत कुछ इसलिए निरोधी है कि कुछ राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है वहाँ दूसरी ओर कृषि मशीनीकरण, डेरी, मुर्गीपालन, बाजार केन्द्रों आदि से सम्बन्धित विशाखित कार्यक्रमों की कार्यान्विति में उनकी सहभागिता अमूल्य सिद्ध हो रही है। क्रियाविधि विषयक ब्यौरों और जमानत के महत्व के सम्बन्ध में अनाग्रह के कारण, सहकारी व्यवस्था की तुलना में उनकी स्थिति बेहतर है। सहकारी संस्थाओं के मामले में जहां कृषकों की संस्थाओं के दो असंबद्ध वर्गों से अनुरोध करना पड़ता है वहां इससे भिन्न वाणिज्य बैंक कृषक की फसल उत्पादन और आवधिक ऋणों के सभी आवश्यकताओं को एक ही साथ निपटा सकते हैं।

प्रशिक्षण

5.10 निगम के अपने कर्मचारियों और साथ ही सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक भव्य कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा नियुक्त एक अनौपचारिक समिति ने इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाया है तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए व्यापारिक परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में निगम और बैंकों के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण की एक व्यापक रूप-रेखा तैयार की है। (i) निगम और सदस्य बैंकों तथा राज्य सरकारों के प्रमुख कर्मचारियों के लिए (ii) सदस्य बैंकों के जो निदेशक कर्मचारी विदेशों में व्यवस्था और परिचालन का मार्गदर्शन करेंगे उनके लिए और (iii) सदस्य-बैंकों के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए एक त्रिसूत्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। पूना स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में आयोजित पाठ्यक्रमों के दौरान ऐसी प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी जिसका उपयोग क्षेत्रीय कर्मचारियों के पाठ्यक्रमों के लिए किया जायेगा। अध्यापन कमचारियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए के निमित्त आवश्यक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। समिति की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजी जा चुकी है जो प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं का पुनर्गठन कर रहा है तथा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं पर विचार कर रहा है।

5.11 इसके साथ ही निगम द्वारा ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके और इन पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए अनुभवी अधिकारी प्रतिनियुक्त करके मूल्यांकन-तकनीक में कर्मचारियों की कुशलता में सुधार लाया जाए। अब तक तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 9 पाठ्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं। मसूर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कृषि ऋण परियोजनाओं में भाग लेनेवाले मूल्यनिर्धारण कर्मचारियों के लिए राज्य अथवा जिला मुख्यालयों में विचार गोष्ठियों की एक शृंखला का आयोजन किया गया है। बाजार केन्द्र परियोजना में सहभागिता करने वाली वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को ऋण आवेदनपत्रों के मूल्यांकन से अवगत करने के लिए

निगम ने दो विचारगोष्ठियां, आयोजित की हैं। एक विचारगोष्ठी बंगलूर में (राष्ट्रीय बैंक प्रबंध के संस्थान-एन आई बी एम) और कृषि वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से और दूसरी हैदराबाद में आयोजित की गई है।

5.12 निगम ने विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आदि के द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सुविधाओं का भी लाभ उठाया है। निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा साथ ही सदस्य बैंकों के अधिकारियों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाता है ताकि वे निगम के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का महत्व समझ सकें।

5.13 निगम ने अपनी तकनीकी क्षमता और भी मजबूत कर ली है। लघु-सिंचाई के क्षेत्र की विशेषज्ञता में, नयी भर्ती करके तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करके दोनों ही प्रकारों से, वृद्धि कर दी गई है। निगम ने नामिकाबद्ध किये गये विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अधिकारियों के परामर्श का भी लाभ उठाया है। सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु लखनऊ और कलकत्ता की परामर्श-सेवा व्यवस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कृषि वित्त निगम योजनायें तैयार करने में वाणिज्य बैंकों की सहायता करता है।

निर्धारण

5.14 निगम में निर्धारण के लिए जो योजनायें प्राप्त होती हैं वे अधिकतर एक सघन क्षेत्र के बहुत से खेतों में एक विशिष्ट प्रकार के निवेश की परिकल्पना करने वाले विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित होती हैं और उनके मूल्यांकन में उनकी तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण सम्मिलित रहता है। तकनीकी निर्धारण निगम की नामिका के विशेषज्ञों अथवा तकनीकी प्रभाग के अपने ही अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह निर्धारण हाथ में लिये गये विकास कार्यक्रमों के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होता है और इसके अन्तर्गत उनके संबंधित पहलू भी आते हैं। कुओं और नलकूपों आदि की लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में इनके अन्तर्गत योजना क्षेत्र के भूमिगत जल की क्षमता, कुएं के प्रकार के तकनीकी स्वरूप, कुएं से प्राप्त पानी की निकासी के निर्धारण और पानी के सुनियोजित उपयोग के लिए आवश्यक सुरक्षा आते हैं। भूमि को समतल बनाने की योजनाओं के अन्तर्गत समतल बनाने की लागत का अनुमान, ढलान की श्रेणियों के अनुसार भूमि का वर्गीकरण और समतलन के कार्य को कार्यान्वित करने की विधि की जांच की जाती है। बागान योजनाओं के अधीन विभिन्न प्रकार की बागान फसलों के स्वरूप के लिए भूमि की उपयुक्तता, नये पौधे लगाने से सम्बन्धित समस्याओं तथा अभिसंस्करण की व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार किया जाता है।

5.15 निगम द्वारा आजकल जो आर्थिक निर्धारण किया जाता है उसमें अन्य बातों के साथ लाभान्वित होनेवाले न्यूनतम क्षेत्र के निवेशों द्वारा उत्पादित वृद्धिशील आय और ऋण पर वार्षिक ब्याज आदि के प्रभार की अदायगी को पूरा करने के लिए आय की पर्याप्तता तो देखी ही जाती है पर यह भी देखा जाता है कि हिताधिकारियों के पास आय के भाग का अधिशेष बना रहे। वस्तुतः इस निर्धारण में योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की ही नहीं अपितु उनकी सफल कार्यान्विति के लिए आवश्यक प्रशासकीय, संगठनात्मक, बैंकिंग तथा ऋण संबंधी मामलों की भी जांच की जाती है। फिर भी यह निर्धारण योजना क्षेत्र के खेतों के विशिष्ट आकारों, कृषि संबंधी आर्थिक स्थितियों और निवेश की उपभोग्य अवधि तथा बैंकिंग प्रतिफलों के अनुरूप अधिकतम पुगाई अवधि निर्धारित करने के लिए निवेशों की औसत लागत तथा प्रस्तावित निवेशों की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के निमित्त ऋण की योग्यता के लिए लाभ प्राप्त करनेवाली भूमि के न्यूनतम एकड़ों को निर्धारित करने के परिप्रेक्ष्य में समग्र निर्धारण का ही द्योतक है।

5.16 स्वीकृति की शर्तों के विन्यास के भीतर वित्तपोषक बैंकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे निवेश की लागत के सही अनुमान, उधारकर्ता के खेत के आकार तथा प्रत्याशित वृद्धिशील आय के संदर्भ में ऋण आवेदनपत्रों का अलग-अलग निर्धारण करें और उसके बाद उधारकर्ता की अदायगी क्षमता के वास्तविक निर्धारण के आधार पर अधिकतम अवधि की सीमा के भीतर वापसी अदायगी की अवधि निर्धारित करें। निगम विचारगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परिचालन करके वित्तपोषक बैंकों को उनके अपने उधार देने कार्यकलापों में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने के लिए राजी कर सका है। इस सम्बन्ध में बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करें।

5.17 हाल ही के वर्षों में निगम को प्रस्तुत की गई बहुत सी योजनायें यह दर्शाती हैं कि योजनाओं के सही मूल्यांकन का क्या महत्व है। परियोजनाओं के प्रतिपादन को आंकने की सुविधा के लिए आंकड़ों के संकलन तथा उनके सही प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। निगम ने हाल ही में अपनी मूल्यांकन तकनीकों की आलोचनात्मक समीक्षा की है और निर्धारण के रीति-विधान का और अधिक परिष्कार करने का प्रस्ताव है।

उपयोग

5.18 निगम योजनाओं के अधीन स्वीकृत ऋणों के उचित उपयोग तथा योजनाओं की कार्यान्विति से प्राप्त आर्थिक लाभों के वैज्ञानिक मूल्यांकन को काफी महत्व देता है। अब जो उपयोगिता अध्ययन हाथ में लिए गए हैं उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं; योजनाओं की कार्यान्विति में की गयी प्रगति की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदान किये गये ऋणों का उपयोग कृषकों द्वारा विकास की परिकल्पित मदों के लिए ही किया गया है; यह पता लगाना कि प्राप्त किये गये ऋण का अंतिम उपभोक्ता

द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग किये पर्यवेक्षण तथा सत्यापन करने के लिए वित्तपोषक बैंकों के पास संतोषजनक व्यवस्था है; वित्तपोषक बैंकों द्वारा स्वीकृतियों की निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किये जाने की जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली निर्धारण प्रणाली निगम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है और आम तौर पर यह जांच करना कि आर्थिक व्यवहार्यता के अध्ययन के समय आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में किये गये अनुमान वास्तविक हैं। उपयोगिता अध्ययन के परिणामस्वरूप जो महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने आई हैं वे वित्तपोषक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के मामले में राज्य सरकारों के पंजीयकों को भी सूचित की गयी हैं ताकि वे सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

मूल्यांकन

5.19 उपयोगिता अध्ययनों से परियोजना की जांच और मूल्यांकन के अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति होती है अर्थात् उनसे परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों और खामियों का पता लगता है ताकि समय रहते संभाव्य गलतियों को ठीक किया जा सके। इसके अलावा निगम ने हाल ही में एक मूल्यांकन-कक्ष की स्थापना की है ताकि जिन निवेशों के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया गया है, उनसे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों के मूल्यांकन के दीर्घकालीन उद्देश्य को इस दृष्टि से पूरा किया जा सके कि पुनर्वित्त प्रदान किये जाने की पूर्ववर्ती प्रत्याशाओं की तुलना उत्तरवर्ती सफलताओं, विशेषकर कृषक के स्तर की सफलताओं, से किया जा सके। प्रारम्भ में मूल्यांकन अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य—कृषकों के स्तर पर योजनाओं से होने वाले लाभों और उनसे पूरा लाभ पाने में कृषकों को होनेवाली कठिनाइयों का निर्धारण करना, कृषिक पुनर्वित्त निगम के पुनर्वित्त योजनाओं से लाभान्वित होनेवाले विभिन्न प्रकार के कृषकों का पता लगाना और परियोजना विन्यास, मूल्यांकन तथा कार्यान्विति के संभावित दोषों का पता लगाना है ताकि निगम को अपनी निर्धारण अध्ययन की क्रियाविधियों में उपयुक्त सुधार करने और साथ ही निर्धारण अध्ययन के समय जांच किये जानेवाले पहलुओं को महत्व देने में सुविधा हो सके।

भावी स्वरूप

निगम अपने भावी कार्यकलापों की योजना में निष्पत्ति-बजट की तकनीकों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त रीति विधान विकसित कर रहा है। निगम के विकासात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्वों, उसकी कार्य-निष्पत्तियों के प्रति सरकार को प्रत्याशाओं और संभाव्य वृद्धि की आशाओं के परिप्रेक्ष्य में बजट को अवधि के लिए व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को मुखरित किया जा रहा है। ऐसे बजट तैयार करके इस दिशा में शुरूआत की जा चुकी है। प्रबन्ध निदेशक ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निष्पत्ति बजट तैयार करने के सिद्धान्त और प्रयोजन समझाने के लिए उनके साथ बैठकें की हैं और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इसके फलस्वरूप ऐसे बजट तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। आधुनिक वर्षों में राज्य सरकारों के बजटों में साधनों की तंगी ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया है कि वे क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु निगम से प्रार्थना करें। इससे निगम को एक ऐसा अतिरिक्त अवसर मिल गया है जिससे वह विभिन्न प्रकार से उन कृषि निवेशों में अपेक्षाकृत अधिक अनुशासन अंतःक्षेपित कर सकता है जिनका अब तक वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट संसाधनों द्वारा किया जाता था। क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों की ओर अधिकाधिक उन्मुख होते जा रहे हैं तथा सरकारें परियोजनाओं की व्यवहार्यता और उनकी उचित कार्यान्विति के प्रति निगम के आग्रह की ओर ध्यान दे रही हैं।

6.2 निगम के कार्यकलापों में इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है कि कृषि के निवेशों की गति बढ़ायी जाए और उसके प्रयोजनों का विशाखन किया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष कर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, यथासंभव, सीमा तक निवेश का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार किया जाए तथा उधार देने की केवल मात्रा में ही सुधार लाने की अपेक्षा उधार देने की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। जब कुछ राज्यों में अं० वि० संघ के कार्यक्रमों का श्रीगणेश किया गया था तब नयी नियमावली के लागू किये जाने के कारण निवेश की प्रत्यक्ष गति में मंदी की प्रवृत्ति आ गयी थी परन्तु अभी हाल ही के वर्षों में इस गति ने जोर पकड़ लिया है। चार राज्यों में अं० वि० संघ के वर्तमान ऋण के अधीन विनिधानों का या तो पहले ही उपयोग कर लिया गया है या उसका उपयोग प्रायः पूरा होनेवाला है। निगम तकनीकी प्रतिफलों के अधीन इन राज्यों को अपनी सहायता जारी रख रहा है ताकि उक्त गति को बनाये रखा जा सके। इसके साथ ही कार्यक्रमों को विशाखित करने के लिए कार्यवाही की गयी है। निगम अपनी संवर्धन भूमिका के अंग के रूप में दक्षिण में छोटे बागान, पूर्वोत्तर राज्यों में सुअर पालन का विकास, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में वन विकास जैसे नये कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहा है।

6.3 विदेशी मुद्रा के अर्जक और पूरक खाद्य के स्रोत के रूप में बागान और झाड़ की फसलों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। अलग-अलग अनेक पण्य बोर्डों ने अधिकांशतः अपना ध्यान प्रौद्योगिकी के चयनात्मक सुधार अथवा विपणन पर केन्द्रित किया है परन्तु उन्होंने केवल सीमित मात्रा में ही बागान रोपकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने और उनके बीच नई प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ावा देने और उसका पर्यवेक्षण करने में सीमित मात्रा में ही सहायता की है। निगम वर्तमान अथवा छोटे भावी बागान रोपकों को विशेष सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न कर रहा है। चूंकि लघु किसान विकास एजेंसी जैसी संस्थाओं में वनरोपक की जो परिभाषा है उसमें एकरूपता नहीं है, प्रत्येक पण्य बोर्ड ने अपने ही मानदंड अपनाए हैं। फिलहाल इन मानदंडों को स्वीकार करते हुए विभिन्न राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के हेतु विशेष अध्ययन करने के लिए निगम का प्रस्ताव है, जहां

कार्यक्रम को अमल में लाया जा सके, समस्याओं के हल प्रस्तुत किये जा सकें और पण्य बोर्डों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए निगम ने प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक सलाहकार समिति की स्थापना की है जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों, पण्य बोर्डों, बैंकिंग संस्थाओं, बागान रोपक संस्थाओं के प्रतिनिधि और इन विषयों का ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति शामिल हैं। यह समिति अपना कार्य दक्षिण क्षेत्र में शुरू करेगी जहां अनेक छोटे बागान-रोपक हैं और यथासमय इसके कार्य का अन्यत्र प्रसार किया जायेगा।

6.4 निवेशों के अपेक्षाकृत अधिक स्तर की उपलब्धि इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि राज्य सरकारों को उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। कृषि राज्य का विषय है और संस्थागत एजेंसियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा ही अनुकूल वातावरण की सृष्टि की जा सकती है। राज्य सरकारों के साथ किये गये विचार-विमर्शों से यह पता लगता है कि वे सांस्थानिक निवेशों की संभावनाओं और उनके प्रसार के महत्व को समझती हैं परन्तु तलवार समिति द्वारा सिफारिशों के अनुसार रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प शुल्कों से संबंधित अधिनियमों नियमों की समीक्षा करने, अभिलेखों को अद्यतन बनाने तथा कार्यक्रम तैयार करने, उनको प्रायोजित करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए विभिन्न विभागों अथवा एजेंसियों में समन्वय अथवा ऐक्य लाने जैसे आवश्यक कदमों की पहल करने के उनके प्रयत्नों में अब भी पर्याप्त अभाव है। अनेक राज्यों में अब भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण की आसानी से पूर्ति की जा सके आवश्यक अवस्थापना का निर्माण करने हेतु बजट साधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना बाकी है। इसके अलावा निवेशों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है जब प्रौद्योगिकी के विभिन्न विकासों का उचित रूप से संयोजन और प्रसार किया जाए। इस दिशा में निगम का प्रस्ताव है कि परियोजना क्षेत्रों की कृषि पद्धतियों की परीक्षा की जाए और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए। इस संदर्भ में ही राज्यों में कारगर विस्तार सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी।

वित्त

1972–73 और 1973–74 के दो वर्षों के दौरान अपने उधार कार्यक्रम के साथ वित्तपोषण के लिए निगम की निधियों के प्रधान स्रोत और साथ ही 1969–70 से 1973–74 तक के पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मदों की प्रवृत्तियां नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गयी हैं।

शेयर पूंजी

7.2 इस वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपयों के शेयरों का तीसरे इजरे से संबंधित आबंटन पूरा हो गया है। 30 जून 1974 को निगम की शेयर पूंजी 15 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1974 को निगम की शेयर पूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों का अभिदान नीचे लिखे अनुसार है।

सारणी 6

करोड़ रुपयों में

स्रोत	1972-73	कुल से प्रतिशत	1973-74	कुल से प्रतिशत	जुलाई 1973-जून 1974	कुल से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. चुकता पूंजी और आरक्षित राशियां/अधिशेष	5.38	(5.60)	0.68	(0.67)	11.50	(3.87)
2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गयी विशेष जमा	0.17	(0.18)	0.24	(0.23)	0.79	(0.27)
3. भारत सरकार से लिए गए उधार						
(क) अं० वि० संघ को निधि	40.68	(42.38)	38.62	(37.79)	82.63	(27.84)
(ख) अन्य	7.04	(7.33)	0.03	(0.03)	55.12	(18.57)

1	2	3	4	5	6	7
4. रिजर्व बैंक से लिए गए उधार						
(क) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं निधि)	30.00	(31.25)	23.00	(22.50)	58.00	(19.54)
(ख) अन्य	0.31	(0.32)	7.90	(7.73)	15.73	(5.30)
5. बांड	11.00	(11.46)	27.50	(26.91)	66.23	(22.31)
6. अदायगियां	1.42	(1.42)	4.23	(4.14)	6.84	(2.30)
जोड़	96.00	(100.00)	102.20	(100.00)	296.84	(100.00)

सारणी 7

संस्था	शेयर		कुल से प्रतिशत
	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	8687	8.69	57.93
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	2336	2.33	15.53
राज्य सहकारी बैंक	1425	1.42	9.47
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2337	2.34	15.60
जीवन बीमा निगम	193	0.19	1.27
अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	21	0.02	0.13
सहकारी बीमा समितियां	1	0.01	0.07
कुल जोड़	15000	15.00	100.00

7.3 संविधि के द्वारा निगम की उधार लेने की शक्ति कुल चुकता पूंजी और आरक्षित निधि के 20 गुने तक सीमित कर दी गई है। पिछले दो वर्षों में वितरणों की बढ़ती हुई गति को देखते हुए और निकट भविष्य में परिकल्पित उधार देने के विशाल कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निगम को अपनी पूंजी का आधार मजबूत करना होगा ताकि वह अपनी उधार शक्ति में वृद्धि कर सके। निगम शीघ्र ही चौथे शेयर इज़रे में अभिदान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

भारत सरकार से लिए गए उधार

7.4 इस वर्ष के दौरान भारत सरकार से ली गई उधारों की राशि 38.66 करोड़ रुपये है जिससे उनकी कुल राशि बढ़कर 163.50 करोड़ रुपये हो गयी है। भारत सरकार द्वारा निगम को जो उधार दिये गये हैं, उनकी राशि चालू अ० वि० संघ परियोजनाओं के अधीन किये जानेवाले वितरणों पर भारत सरकार द्वारा अं० वि० संघ/अं० पु० वि० बैंक के ऋणों में से किये गये आहरणों की राशि के रूपयों की तुल्य राशि तक सीमित कर दी गई है।

7.5 आलोच्य वर्ष के दौरान भारत सरकार ने उन दरों में 1 जुलाई 1973 और 1 अप्रैल 1974 से क्रमशः $\frac{1}{4}$ प्रतिशत और $\frac{1}{8}$ प्रतिशत की वृद्धि कर दी है जिन पर निगम को निधियां उपलब्ध की जाती हैं। ये वर्तमान दरें 9 वर्षों के ऋणों के लिए $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 10 तथा 15 वर्षों के ऋणों के लिए $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत हैं और अविलम्ब अदायगी के लिए इनमें $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके बावजूद भारत सरकार अं० वि० संघ द्वारा सहायता की गई पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिए उन्हीं दरों पर निधियां प्रदान करती आ रही है जो संबंधित करारों में परिकल्पित हैं।

बाजार से लिए गए उधार

7.6 इस वर्ष के दौरान निगम ने $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले 12 वर्ष की पुगाई अवधि के बांडों के माध्यम से 27.50 करोड़ रुपयों की कुल राशि जुटाने के लिए सितम्बर 1973 और मार्च 1974 में दो बार बाजार में प्रवेश किया था। दूसरा इज़रा केवल सहकारी समितियों द्वारा अभिदान किये जाने के लिए सीमित कर दिया गया था। वर्ष के अन्त में बाजार से लिए गए कुल उधारों की राशि 66.21 करोड़ रुपये होती है। नीचे की सारणी में बांडों की प्रत्येक सिरीज़ के लिए विभिन्न वर्गों के अभिदाताओं से प्राप्त राशियां दर्शायी गई हैं।

सारणी 8

करोड़ रुपयों में

अभिदाता	बांडों की सीरीज						
	I	II	III	IV	V	VI	जोड़
1. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और उसके सहायक बैंक	2.81	2.99	1.86	3.31	4.92	—	15.89
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	7.31	4.25	5.45	5.75	7.90	—	30.66
3. अन्य वाणिज्य बैंक	0.56	0.73	0.43	1.26	0.85	—	3.83
4. जीवन बीमा निगम	0.10	0.10	0.20	0.10	0.15	—	0.65
5. अन्य बीमा समितियाँ	—	—	0.04	0.04	0.05	—	0.13
6. सहकारी बैंक	0.02	0.45	0.25	0.49	2.59	11.00	14.80
7. अन्य	0.14	—	0.02	0.05	0.4	—	0.25
जोड़	10.94	8.52	8.25	11.00	16.50	11.00	66.21

टिप्पणी : इजरे की तारीख : I—जनवरी 1970 II—नवंबर 1970 III—मार्च 1972 IV—मार्च 1973 V—सितंबर 1973 और VI—मार्च 1974

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए उधार

7.7 इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि) से आहरण के लिए 23.00 करोड़ रुपयों की और अधिक सीमा मंजूर की है और निगम ने इस पूरी सीमा के उधार प्राप्त किये हैं। पहले के ऋणों की अदायगी के लिए 3.50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को निगम द्वारा देय राशि 30 जून 1974 को 54.00 करोड़ रुपये होती है।

7.8 निगम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अल्पावधि ऋणों के लिए प्राप्त होनेवाली 15.00 करोड़ रुपयों की सीमा तक लाभ उठाता रहा है और 30 जून 1974 तक इस शीर्ष के अधीन बकाया राशि 11.60 करोड़ रुपये है।

ऋणों की अदायगी

7.9 इस वर्ष के दौरान सदस्य बैंको से प्राप्त ऋणों की अदायगी की कुल राशि 4.23 करोड़ रुपये हैं जब कि जून 1973 के अंत तक प्राप्त राशि 2.70 करोड़ रुपये थी। जून 1974 के अंत तक प्राप्त हुई कुल अदायगी की राशि 6.93 करोड़ रुपये है और उसका एजेंसीवार विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी 9

करोड़ रुपये

एजेंसी	अदायगियाँ		जोड़
	कृ० पु० निगम की योजनाएँ	अं० वि० सं० की योजनाएँ	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.12	0.34	2.46
राज्य भूमि विकास बैंक	—	2.03	2.03
राज्य सहकारी बैंक	2.44	—	2.44
जोड़	4.56	2.37	6.93

7.10 जहाँ तक भूमि विकास बैंकों का संबंध है उन पर अं. वि. संघ परियोजनाओं के लिए प्रदान किये गये पुनर्वित्त के लिए वार्षिक अदायगियाँ ही बकाया हैं क्योंकि अन्य योजनाओं के अधीन अभिदान किये गये विशेष विकास डिबेंचर उनकी पुराई अवधि बीतने पर एकमुश्त राशि से ही विभोचित किये जाते हैं।

सदस्य

7.11 दो और बैंक अर्थात् मित्सुई बैंक लि० और तंजौर पर्मनेंट बैंक लि०, तथा दि युनायटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लि० निगम के सदस्य हो गये हैं। इस वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान मर्कन्टाइल बैंक लि०, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, दि सरस्वती इंश्योरेंस कंपनी लि० और दि कोआपरेटिव्ह जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लि० निगम के सदस्य नहीं रह गये हैं। इस प्रकार 30 जून 1974 को निगम के सदस्यों की संख्या 109 है जब कि जून 1973 के अंत में वह 110 थी।

निदेशक बोर्ड

7.12 निगम के एक निदेशक श्री एम० ए० कुरेशी की उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 10 (ग) के अनुसार श्री के० एन० चन्ना, अपर सचिव, सामुदायिक विकास विभाग, भारत सरकार को निदेशक नामित किया है। श्री चन्ना 4 अगस्त से 5 दिसंबर 1973 तक निगम के निदेशक रहे हैं। श्री कुरेशी के कृषि मंत्रालय में सचिव के रूप में फिर से नियुक्त हो जाने पर उन्हें श्री के० एन० चन्ना के स्थान पर फिर से निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री के० एन० चन्ना ने निगम की जो बहुमूल्य सेवाएँ की हैं, उनके लिए निदेशक मंडल उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रगट करता है।

7.13 इस वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की सात बैठकें हुई हैं।

हिन्दी का प्रयोग

7.14 निगम के दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रचलन के लिए उसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। सभी अधिकृत अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ, आदि हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित की जाती हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापी जाती है। हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए और कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है।

लेखे

राजकोषीय सहायता की राशि की अदायगी

7.15 'गारंटीकृत' लाभांश के लिए भारत सरकार द्वारा अदायगी शीर्ष के अधीन निगम के तुलनपत्र में लगभग 14 लाख रुपयों की जो राशि बकाया है, वह निगम को भारत सरकार से उसके प्रारंभ के 5 वर्षों 1963–64 से 1967–68 तक के कामकाज के दौरान निगम की शेयर पूंजी पर दिये जानेवाले गारंटीकृत लाभांश को पूरा करने के लिए जितनी सीमा तक उसके लाभ कम होते हैं उतनी सीमा तक उन्हें पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशियों को दर्शाती है। निगम ने इस वर्ष के दौरान भारत सरकार को उक्त राशि की अदायगी कर दी है।

लाभ

7.16 वर्ष 1973–74 के दौरान निगम को विनियोजन के लिए प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि 117.51 लाख रुपये है। यह राशि विशेष आरक्षित निधि में वित्त अधिनियम, 1971 के अधीन अनुमत वर्तमान लाभों के 10 प्रतिशत के लिए 31 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद बची है। निदेशक मंडल इस राशि की नीचे लिखे अनुसार विनियोजन करने की सिफारिश करता है :—

	लाख रुपये
आरक्षित निधि को अंतरण	51.26
शेयरों पर लाभांश	66.25
	117.51

निदेशकों की ओर से
आर० के० हजारी
अध्यक्ष

10 अगस्त, 1974.

विवरण 1

वायदों की तुलना में पुनर्वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति

करोड़ रुपये

वर्ष	प्रत्येक वर्ष के अंत में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रावस्था क्रम (फेजिंग) के अनुसार कृ० पु० निगम के वायदे		कृ. पु. निगम द्वारा डिबेंचरों में किया गया अभिदान और उससे आहरित ऋण		आहरित राशियों का वायदे से प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1963–64 . .	3	—	—	—	—	—	—
1964–65 . .	13	4.47	4.47	0.45	0.45	10.1	10.1
1965–66 . .	36	8.28	8.73	4.45	4.90	53.7	56.1
1966–67 . .	42	9.40	14.30	2.08	6.98	22.1	48.8
1967–68 . .	128	18.50	25.48	5.67	12.65	30.6	49.6
1968–69 . .	233	45.94	58.59	17.84	30.49	38.8	52.0
1969–70 . .	371	61.66	92.15	28.60	59.09	46.4	64.1
1970–71 . .	458	66.58	125.67	30.62	89.71	46.0	71.4
1971–72 . .	711	86.33	176.04	34.98	124.69	40.5	70.8
1972–73 . .	923	166.71	291.40	94.13	218.83	56.5	75.1
1973–74 . .	1457	188.20*	435.56*	97.84	316.67	52.0	72.7

*इसमें 550 करोड़ रुपयों की राशि शामिल नहीं है, जो अं० वि० संघ की पारियोजनाओं को अंतरित कर दी गई है।

विवरण 2

1973-74 के दौरान प्रयोजन के अनुसार स्वीकृतियां

करोड़ रुपयों में

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ० पु० निगम के वायदे	राज्य सरकारों बैंकों के वायदे
लघु सिंचाई . . .	317	211.30	188.47	22.83
भूमि विकास और भूमि संरक्षण .	10	2.73	2.07	0.66
कृषि मशीनीकरण . .	84	12.10	9.21	2.89
बागान और बागवानी . .	40	8.66	6.79	1.87
मुर्गीपालन और भेड़ पालन .	15	0.62	0.52	0.10
मछली पालन . . .	3	0.80	0.64	0.16
डेरी	62	8.21	6.92	1.29
भांडार सुविधाएं और बाजार केन्द्र .	18	6.76	5.73	1.03
कृषि विमानन . .	1	0.16	0.12	0.04
जोड़ . . .	550	251.34	220.47	30.87

विवरण 3

1973-74 के दौरान क्षेत्रों और राज्यों के अनुसार स्वीकृतियां

करोड़ रुपये

क्षेत्र/राज्य या संघशासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	क्षे० पु० निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
1	2	3	4	5
I उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली	2	0.43	0.40	0.03
हरियाणा	15	13.48	10.91	2.57
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू और काश्मीर	4	0.26	0.25	0.01
पंजाब	24	6.95	5.76	1.19
राजस्थान	20	7.88	6.66	1.22
	65	29.00	23.98	5.02
II उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
असम	2	0.90	0.86	0.04
मेघालय	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—
	2	0.90	0.86	0.04
III पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	16	30.67	27.38	3.29
उड़ीसा	5	8.31	7.92	0.39
पश्चिम बंगाल	12	2.70	2.47	0.23
	33	41.68	37.77	3.91
IV मध्य क्षेत्र				
मध्य क्षेत्र	122	61.24	54.84	6.40
उत्तर प्रदेश	85	45.55	40.12	5.43
	207	106.79	94.96	11.83
V पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	1	0.01	0.01	—
गुजरात	23	2.60	2.08	0.52
महाराष्ट्र	105	44.50	39.56	4.94
	129	47.11	41.65	5.46

1	2	3	4	5
VI दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश . .	15	8.27	6.90	1.37
कर्नाटक . . .	65	9.26	7.71	1.55
केरल . . .	12	3.01	2.31	0.70
पांडिचेरी . .	3	0.45	0.40	0.05
तामिलनाडु . .	19	4.87	3.93	0.94
	114	25.86	21.25	4.61
कुल जोड़ . .	550	251.34	220.47	30.87

विवरण 4

1973-74 के दौरान एजेंसियों के अनुसार स्वीकृतियां

करोड़ रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ० पु० निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
राज्य भूमि विकास बैंक . .	139	149.12 (59.33)	132.91 (60.28)	16.21
अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	407	99.54 (39.60)	85.22 (38.66)	14.32
राज्य सहकारी बैंक . .	4	2.68 (1.07)	2.34 (1.06)	0.34
जोड़ . . .	550	251.34 (100.00)	220.47 (100.00)	30.87

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।

विवरण 5

30 जून 1974 तक मंजूर की गयी योजनाओं का प्रयोजन के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ० पु० निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	कृ० पु० निगम से आहरित ऋण और उसके द्वारा डिबेंचरों में किया गया अभिदान
लघु सिंचाई . . .	860	601.29	540.21	61.08	254.44
भूमि विकास और भूमि संरक्षण .	89	87.18	68.40	18.78	28.02
कृषि मशीनीकरण . .	107	23.03	17.60	5.43	6.70
बागान और बागबानी . .	233	49.23	38.70	10.53	11.29
मुर्गीपालन और भेड़ पालन . .	32	2.17	1.80	0.37	0.31
मछली पालन . . .	22	7.97	5.72	2.25	2.86
डेरी विकास . . .	82	13.03	10.82	2.21	1.47
भांडार सुविधाएँ और बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) . .	31	22.84	20.73	2.11	11.46
कृषि विमानन . . .	1	0.16	0.12	0.04	0.12
जोड़ . . .	1457	806.90	704.10	102.80	316.67

विवरण 6

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कुल वायदे	क्रु० पु० निगम के वायदे — प्रावस्थाकरण 1973–74 तक	1973–74 के दौरान	आहरित ऋण/अभिदान किये गये डिबेंचर 1973–74 के दौरान	30 जून 1974 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	2	कृ० म०	1	15	12	5	5	6	6
		डे० वि०	1	28	28	8	8	1	1
	3	मु० पा०	1	20	16	16	16	—	—
	3	मु० पा०	1	12	12	12	—	—	6
			4	75	68	41	29	7	13
हरियाणा	1	ल० सिं०	24	2429	2187	1950	422	486	2227
		भू० वि०	2	234	194	22	17	3	3
		कृ० म०	1	50	37	37	—	—	37
		बान/बानी	2	54	40	40	—	—	30
	2	ल० सिं०	29	1859	1533	734	299	195	527
		कृ० म०	2	36	29	7	7	7	7
		डे० वि०	5	64	56	28	11	5	5
		मु० पा०	1	8	8	2	2	—	—
	3	डे० वि०	2	130	108	108	27	—	15
		भां० बा०	3	439	439	439	163	107	226
			71	5303	4631	3367	948	803	3077
हिमाचल प्रदेश	1	बान/बानी	1	39	29	29	20	4	4
	2	डे० वि०	1	3	3	3	2	—	—
			2	42	32	32	22	4	4
जम्मू और कश्मीर	1	बान/बानी	3	130	98	88	8	—	71
		भू० वि०	1	8	7	—	—	—	—
	2	डे० वि०	1	10	10	2	2	—	—
		मु० पा०	1	3	3	2	2	—	—
		भे० पा०	1	5	5	1	1	—	—
			7	156	123	93	13	—	71

विवरण 6 (चालू)

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	1	ल० सिं०	29	3148	2856	2619	340	194	2273
		भू० वि०	11	676	546	152	67	19	113
		बान/बानी	4	261	195	98	52	—	—
		कृ० म०	2	190	143	143	143	—	—
	2	ल० सिं०	3	296	241	214	118	108	199
		कृ० म०	14	188	137	21	21	70	70
		डे० वि०	5	99	91	47	30	14	36
		मु० पा०	1	1	1	1	1	—	—
		भां० बा०	1	122	97	97	49	24	24
	3	डे० वि०	4	107	89	57	43	—	—
		भां० बा०	4	747	730	730	351	60	629
			78	5835	5126	4179	1215	489	3344
राजस्थान	1	ल० सिं०	33	1984	1833	873	383	177	542
		भू० वि०	4	454	340	180	61	—	10
		बान/बानी	1	39	29	11	7	5	9
	2	ल० सिं०	6	265	213	102	93	75	75
		कृ० म०	1	24	19	6	6	6	6
		मु० पा०	1	5	4	2	2	—	—
		भां० बा०	6	208	165	65	49	20	20
			52	2979	2603	1239	601	283	662
			214	14390	12583	8951	2828	1586	7171
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	1	बान/बानी	1	5	4	1	—	—	—
	2	बान/बानी	8	160	138	138	7	29	134
		ल० सिं०	1	61	60	8	8	—	—
		भां० बा०	1	29	26	26	26	—	—
	3	बान/बानी	1	6	6	3	—	—	—
			12	261	234	176	41	29	134
मेघालय	3	बान/बानी	1	5	5	5	—	—	—
		डे० वि०	1	2	2	2	—	—	—
			2	7	7	7	—	—	—
नागालैंड	3	भू० वि०	1	30	30	8	8	4	4
			15	298	271	191	49	33	138

विवरण 6 (चालू)

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	1	ल० सिं०	10	3231	2907	722	405	340	678
		भू० वि०	1	568	426	426	—	7	83
		बान/बानी	1	14	11	—	—	—	—
	2	ल० सिं०	8	405	332	191	115	203	203
		कृ० म०	2	161	129	63	36	35	35
		भां० बा०	5	147	132	57	57	—	—
	3	डे० वि०	2	70	53	10	9	—	—
			29	4596	3990	1469	622	585	999
उड़ीसा	1	ल० सिं०	2	255	240	20	20	—	—
		भू० वि०	5	70	52	42	14	2	17
		कृ० म०	1	80	60	10	10	1	1
		बान/बानी	6	222	171	87	59	5	37
	2	ल० सिं०	2	588	568	61	61	—	—
		भू० वि०	3	92	77	26	26	—	—
		कृ० म०	1	25	20	3	3	—	—
		बान/बानी	1	56	45	10	6	—	—
	3	डे० वि०	1	19	19	2	2	—	—
		मछ०	1	18	18	4	4	—	—
			23	1425	1270	265	205	8	55
पश्चिम बंगाल	1	ल० सिं०	8	263	241	58	48	11	14
		बान/बानी	5	34	31	11	2	—	4
	2	ल० सिं०	6	58	50	35	20	11	18
		बान/बानी	2	7	6	6	—	—	6
		डे० वि०	2	9	8	—	—	—	—
		मछ०	2	2	2	2	—	—	1
			25	373	338	112	70	22	43
			77	6394	5598	1846	897	615	1097
IV मध्य क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	1	ल० सिं०	86	5662	5099	1966	1508	439	1075
		भू० वि०	3	166	125	42	25	—	11
		कृ० म०	1	100	75	75	25	12	43
	2	ल० सिं०	82	3067	2739	690	665	194	194
	3	भा० बा०	1	27	20	20	11	—	—
			173	9012	8058	2793	2234	645	1323

विवरण 6 (चालू)

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, ऐजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश									
	1	ल० सिं०	95	8573	7799	2693	1577	1268	3389
		भू० वि०	2	10	7	—	—	—	—
		बान/बानी	2	120	89	28	22	2	2
	2	ल० सिं०	44	1310	1175	241	241	59	59
		भू० वी०	1	927	675	—	—	1	124
		कृ० म०	25	664	505	217	172	167	167
		डे० वि०	4	76	62	31	8	1	25
	3	डे० वि०	2	64	48	32	16	—	—
		भां० बा०	1	155	155	155	5	—	150
			176	11899	10515	3397	2041	1498	3916
			349	20911	18573	6190	4275	2143	5239
V पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	2	मछ०	1	1	1	—	—	—	—
		ल० सिं०	1	5	3	3	3	3	3
			2	6	4	3	3	3	3
गुजरात	1	ल० सिं०	51	6029	5427	5427	2127	663	4001
		कृ० म०	1	351	263	263	—	10	233
		बान/बानी	2	29	22	22	—	—	22
	2	ल० सिं०	1	1	1	1	1	1	1
		कृ० म०	17	130	104	89	76	58	58
		डे० वि०	2	142	114	38	38	46	46
		भां० वा०	1	15	10	10	10	10	10
	3	मछ०	1	13	13	8	8	—	—
		भा. बा.	1	2	2	2	2	—	2
			77	6712	5956	5860	2262	788	4373
महाराष्ट्र	1	ल० सिं०	42	4303	3877	3061	1761	1045	2693
		भू० वि०	8	411	341	197	—	—	198
		बान/बानी	6	259	218	35	35	—	—
	2	ल० सिं०	65	1489	1224	487	255	114	218
		कृ० म०	25	103	81	15	15	—	—
		डे० वि०	28	253	203	58	52	3	6
		मु० पा०	5	16	11	9	1	9	9
		मछ०	2	14	8	8	7	—	7
		भां० बा०	1	70	56	36	36	38	38

विवरण 6 (चालू)

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 मध्य	4	160	106	106	62	62	62
			186	7078	6125	4012	2224	1271	3231
			265	13796	12085	9875	4489	2062	7607
VI दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	1	ल० सिं०	89	3583	3250	3064	1004	313	1909
		भू० वि०	20	1966	1596	1458	125	35	1235
		बान/बानी	4	101	76	22	6	—	14
	2	ल० सिं०	41	1077	927	833	646	75	104
		भू० वि०	1	50	38	38	—	—	38
		डे० वि०	3	31	25	1	—	—	1
		भु० पा०	5	21	13	13	1	—	12
		कृ० म०	1	60	48	24	24	—	—
	3	मछ०	1	37	26	26	8	—	—
			165	6926	5999	5479	1814	423	3313
कर्नाटक	1	ल० सिं०	15	4594	4183	3516	1593	897	1460
		भू० वि०	14	1846	1384	950	207	55	459
		बान/बानी	23	988	739	542	157	85	268
	2	ल० सिं०	17	322	289	113	103	7	17
		भू० वि०	3	84	63	20	20	—	—
		बान/बानी	76	413	341	158	51	19	108
		डे० वि०	9	55	44	11	11	—	—
		भु० पा०/भे०पा०	9	32	27	12	9	—	3
		कृ० म०	12	126	98	38	34	3	7
		भां० बा०	4	171	128	23	16	17	17
	3	बान/बानी	2	165	165	165	—	—	25
	3	मछ	2	208	143	137	—	—	137
		भां० बा०	2	152	113	98	27	16	30
			188	9156	7717	5783	2228	1099	2531
केरल	1	ल० सिं०	1	51	47	46	—	2	47
		भू० वि०	4	126	95	35	27	5	7
	2	बान/बानी	18	666	498	183	89	33	96
		ल० सिं०	1	39	30	22	10	16	16
		भू० वि०	1	375	375	40	40	40	40
		बान/बानी	18	138	130	123	9	7	107
		भु० पा०	3	12	11	5	5	—	—
		डे० वि०	2	13	12	7	7	—	—

विवरण 6 (चालू)

30 जून 1974 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	मु० पा०	1	30	30	30	—	—	—
		मछ०	3	204	154	103	47	—	48
			52	1654	1382	594	234	103	361
पांडिचेरी	1	ल० सि०	1	16	16	16	8	—	—
	2	डे० वि०	3	45	40	11	11	8	8
	3	मछ०	1	29	22	—	—	—	—
			5	90	78	27	19	8	8
तमिलनाडु	1	ल० सि०	67	5176	4674	3765	1806	1634	3502
		भू० वि०	3	620	465	465	23	8	457
		बान/बानी	14	866	650	138	63	17	81
	2	भू० वि०	1	5	4	—	—	—	3
		बान/बानी	31	146	134	133	16	13	111
		भु० पा०	1	1	1	—	—	—	1
		मछ०	2	7	5	1	1	1	5
		डे० वि०	4	83	67	24	24	4	4
		कृ० वि०	1	16	12	12	12	12	12
	3	मछ०	2	104	74	44	42	23	26
		भो० पा०	1	51	38	38	—	—	—
			127	7075	6124	4620	1987	1712	4202
			537	24901	21300	16503	6282	3345	10415
		कुल जोड़	1457	80690	70410	43556	18820	9784	31667

एजेंसी कूट संख्या-1. राज्य भूमि विकास बैंक । 2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक । 3. राज्य सहकारी बैंक ।

प्रयोजन :

ल० सि०—लघु सिंचाई
भू० वि०—भूमि विकास
कृ० म०—कृषि मशीनीकरण
बान/बानी—बागान/बागबानी
डे० वि०—डेरी विकास
मछ०—मछलीपालन
मु० पा०—मुर्गी पालन
भे० पा०—भेड़ पालन
भां० बा०—भांडार और बाजार केन्द्र
कृ० वि०—कृषि विमानन

विवरण 7

30 जून 1974 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का वित्तपोषक एजेंसी के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ० पु० निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से आहरित ऋण/उसके द्वारा डिबेंचरों में किया गया अभिदान
राज्य भूमि विकास बैंक . .	730	610.40 (76.65)	536.92 (76.26)	73.48	273.54
अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	680	166.64 (20.65)	140.98 (20.02)	25.66	29.53
राज्य सहकारी बैंक . .	47	29.86 (3.75)	26.20 (3.72)	3.66	13.60
जोड़	1457	806.90 (100.00)	704.10 (100.00)	102.80	316.67

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं ।

विवरण 8

30 जून 1974 के लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के ततवाधान में मंजूर की गई योजना

राज्य	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृ० पु० निगम के वायदे: कुल वायदे	कृ० पु० निगम के वायदे: प्रावस्थाकरण: 1973-74 तक	कृ० पु० निगम के वायदे: प्रावस्थाकरण: 1973-74 के दौरान	ऋण/डिबेंचर: 1973-74 के दौरान	ऋण/डिबेंचर: 1973-74 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली . .	वाणिज्य बैंक	डेवि	1	28	28	8	8	1	1
हरियाणा . .	राज्य भूमि विकास बैंक	भूवि	1	17	17	6	4	—	—
	वाणिज्य बैंक	लसि	2	31	25	16	16	11	11
		डेवि	1	16	16	6	6	—	—
हिमाचल प्रदेश .	वाणिज्य बैंक	डेवि	1	3	3	3	2	—	—
जम्मू और कश्मीर .	राज्य भूमि विकास बैंक	भूवि	1	6	6	—	—	—	—
	वाणिज्य बैंक	मुपा	1	3	3	2	2	—	—
		मुपा	1	5	5	1	1	—	—
		डेवि	1	10	10	2	2	—	—
पंजाब .	पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	4	228	228	155	79	57	64
	वाणिज्य बैंक	डेवि	4	67	67	25	18	14	14
		मुपा	1	1	1	1	1	—	—
राजस्थान . .	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	3	469	469	139	104	80	87
			22	884	878	364	243	163	177

विवरण 8–जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	वाणिज्य बैंक	लसि	1	48	48	—	—	—	—
मेघालय	राज्य सहकारी बैंक	बान/बानी	1	5	5	5	—	—	—
		डेवि	1	2	2	2	—	—	—
			3	55	55	7	—	—	—
III पूर्वी क्षेत्र									
उड़ीसा	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	1	116	116	10	10	—	—
	वाणिज्य बैंक	लसि	2	403	403	45	45	—	—
	राज्य सहकारी बैंक	डेवि	1	16	16	2	2	—	—
पश्चिम बंगाल	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	4	4	44	17	8	6	9
		बान/बानी	3	21	21	3	3	—	—
	वाणिज्य बैंक	लसि	3	19	19	9	9	—	—
		डेवि	1	5	5	—	—	—	—
			15	624	624	86	77	6	9
IV मध्य क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	7	242	242	86	65	33	54
उत्तर प्रदेश	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	7	836	836	505	192	120	409
	वाणिज्य बैंक	लसि	1	12	12	6	6	—	—
		डेवि	1	10	10	4	4	—	—
			16	1100	1100	601	267	153	463
V पश्चिमी क्षेत्र									
महाराष्ट्र	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	10	116	110	50	—	—	—
		बान/बानी	1	97	97	4	4	—	—
	वाणिज्य बैंक	डेवि	1	5	5	5	5	1	1
			12	218	212	59	9	1	1
VI दक्षिणी क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	3	257	257	140	89	25	43
	वाणिज्य बैंक	लसि	1	19	19	5	5	2	2
कर्नाटक	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	3	483	483	352	225	148	148
	वाणिज्य बैंक	लसि	1	23	21	21	21	—	—
		मेपा	1	4	4	1	1	—	—

विवरण 8—समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पांडिचेरी	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	1	16	16	16	8	—	—
	वाणिज्य बैंक	डेवि	1	20	20	7	7	6	6
तमिलनाडु	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	4	158	158	61	61	21	21
केरल	वाणिज्य बैंक	मुपा	2	8	8	5	4	—	—
			17	988	986	608	421	202	220
	कुल जोड़		85	3869	3855	1725	1017	525	870

प्रयोजन :

लसि—लघु सिंचाई, भूमि—भूमि विकास, बान/बानी—बागान/बागानी—डेवि—डेरी विकास – मुपा/भेपा—मुर्गीपालन/भेड़ पालन

विवरण 9

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाएं—प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त वर्णन

कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई (अर्थात् खोदे गए कुएं व बोरिंग किए गए कुएं, उथले, मध्यम और गहरे नलकूपों की सिंचाई, उद्वाहक सिंचाई की इकाइयाँ और कुओं में पंपसेट तथा रहटें आदि लगाना, पाइप लाइनें बिछाना तथा भूमि को समतल बनाने का अनुषंगी कार्य) के भारी निवेशों, भूमि विकास तथा आयात किए गए और देशी ट्रैक्टरों, कटाई की मशीनों (हार्वेस्टर्स) तथा कंबाइनों की खरीद के वित्तपोषण की परिकल्पना की गयी है। अन्य परियोजनाओं का नाम ही उनके अधीन हाथ में ली जानेवाली विकास की मदों के द्योतक है। प्रत्येक परियोजना की कुल लागत, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता, निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता, परियोजनाओं को कार्यान्वित करनेवाली एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :—

1. (क) कृषि विमानन परियोजना@
   (ख) परियोजना की लागत 87.80 लाख डालर (6.58 करोड़ रुपये)—60.00 लाख डालर (4.52 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 33.00 लाख डालर (2.48 करोड़ रुपये)।
   (ग) विश्व बैंक के सदस्य देशों से स्थिर पंखों वाले विमानों और हेलीकाप्टरों का आयात करना।
   (घ) चुने हुए वाणिज्यिक बैंक
   (ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1974।
2. (क) आंध्र प्रदेश कृषि परियोजना
   (ख) परियोजना की लागत 450.00 लाख डालर (33.8 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244.00 लाख डालर (18.30 करोड़ रुपये)—इनमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 241.20 लाख डालर (17.55 करोड़ रुपये)।
   (ग) लघु सिंचाई निवेशों, भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के साज-सामान का वित्तपोषण।
   (घ) आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक,
   (ङ) तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति का दिनांक 30 जून 1974 को बढ़ाकर 30 जून 1975 कर दिया गया है।

@इस बीच यह योजना रद्द कर दी गई है।

शीर्षक

(क) परियोजना का नाम (ख) परियोजना की लागत, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता, कृषि पुनर्वित निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली राशि (ग) परियोजना का विवरण। (घ) कार्यान्वित करने वाली एजेंसी। (ङ) कार्यान्वयन की अवधि।

3. (क) बिहार कृषि ऋण परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 600.00 लाख डालर (45 करोड़ रुपये)--निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 320.00 लाख डालर (24 करोड़ रुपये)।

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप लगाना और सतह के जल को थोड़ा ऊपर उठाकर पंप करने के लिए डीजल पंप सेटों का लगाना शामिल है।

(घ) बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) तीन वर्ष--समाप्ति का दिनांक--दिसम्बर 1976।

4. (क) बिहार बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 226.40 लाख डालर (16.48 करोड़ रुपये)--अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 140.00 लाख डालर (11.61 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 128.50 लाख डालर (9.35 करोड़ रुपये)।

(ग) बिहार के लगभग 50 नगरों में विपणन सुविधाओं के निवेश के लिए; इन सुविधाओं में प्रवेश मार्गों का निर्माण, जमीन समतल करना, बाड़ी लगाना, गोदाम, व्यापारियों की दुकानें, आदि के निर्माण जैसे नागरिक निर्माण कार्य शामिल हैं।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

(ङ) पांच वर्ष--समाप्ति का दिनांक --30 जून, 1978।

5. (क) चंबल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना
(कृ० पु० निगम का कार्यक्रम)

(ख) परियोजना की लागत 120.00 लाख डालर (9.6 करोड़ रुपये)--इसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की सहायता 50.00 लाख डालर (4.1 करोड़ रुपये)।

(ग) इस परियोजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: नालियां बनाना, नहरों की मेड़ें बनाना, नहरों की क्षमता को बढ़ाना, नियन्त्रण की संरचनाओं का निर्माण या उनमें सुधार, फार्मों पर किया जानेवाला विकास जिसमें नालियों के लिए खाईयां खोदना, भूमि को आकार देना, सड़कों का निर्माण, वनरोपण भूक्षरण का नियन्त्रण उर्वरकों की पूर्ति शामिल है।

(घ) राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष--समाप्ति का दिनांक--30 जून 1981

6. (क) गुजरात कृषि ऋण परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 670.00 लाख डालर (50.2 करोड़ रुपये) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की सहायता 350.00 लाख डालर (26.25) करोड़ रुपये जिसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 347.00 लाख डालर (25.26 करोड़ रुपये)

(ग) लघु सिंचाई निवेशों और कृषि मशीनीकरण के साज-सामान (ट्रैक्टर) तथा भूमिगत जल अध्ययन का वित्त-पोषण

(घ) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड

(ङ) तीन वर्ष--इस बीच समाप्ति के दिनांक 30 जून 1974 को बढ़ाकर 31 मार्च 1975 कर दिया गया है। (2200 ट्रैक्टरों में से केवल 800 ट्रैक्टर आयात किए गए हैं और उपयोग में न लायी गयी 49.00 लाख डालरों (3.57 करोड़ रुपये) की राशि लघु सिंचाई वर्ग को अन्तरित कर दी गई है।)

7. (क) हरियाणा कृषि ऋण परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 622.30 लाख डालर (45.30 करोड़ रुपये)--निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संघ की सहायता की राशि 250.00 लाख डालर (18.20 करोड़ रुपये)।

(ग) लघु सिंचाई निवेशों का वित्तरोपण जिसमें उथले नलकूप बैठाने का कार्य और कृषि मशीनीकर के आयातित और देशी साज-सामान अर्थात् ट्रैक्टरों, कटाई सन्यन्त्रों और स्वचालित कंबाइनों के लिए वित्तपोषण शामिल है।

(घ) हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) तीन वर्ष समाप्ति का दिनांक—31 मार्च 1975 मूल रूप से अपेक्षित लघु सिंचाई कार्यक्रम पहले ही समाप्त हो गया है। इस वर्ष के दौरान ट्रैक्टर वर्ग से 53.00 लाख डालर (3.98 करोड़ रुपये) की राशि लघु सिंचाई वर्ग को अन्तरित की गयी है।

8. (क) हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना

(ख) परियोजना की कुल लागत 215.00 लाख डालर (16.13 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 130.00 लाख डालर (9.75 करोड़ रुपये)। इसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता की राशि 3.72 करोड़ रुपये है।

(ग) बागबानी पण्य अभिसंस्करण तथा विपणन निगम की स्थापना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सेब अभिसंस्करण तथा विपणन उद्योग के सुधार के लिए वित्तपोषण। इस सहायता के अन्तर्गत डिब्बाबन्दी करने के कारखाने, संग्रहण केन्द्र, वाहनान्तरण केन्द्र, ठंडे गोदाम की इकाइयों का निर्माण और रस गाढ़ा करने के सन्यन्त्र आते हैं। उपज का समय पर परिवहन करने के लिए हवाई रज्जु मार्गों और नई सड़कों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक

(ङ) चार वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर 1978।

9. (क) कर्नाटक कृषि ऋण-परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 754.00 लाख डालर (54.9 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता की राशि 400.00 लाख डालर (30 करोड़ रुपये) जिसमें 367.00 लाख डालर (26.7 करोड़ रुपये) की सहायता की राशि निगम के माध्यम से प्रदान की जानी है।

(ग) लघु सिंचाई निवेशों और भूमि उद्धार, तथा ट्रैक्टरों और भूमि उद्धार के साज-सामान की खरीद का वित्त-पोषण।

(घ) कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 अक्तूबर 1975।

10. (क) कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना

(ख) परियोजना की लागत—130.00 डालर (9.48 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 80.00 लाख डालर (64 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 79.20 लाख डालर (6.35 करोड़ रुपये)

(ग) नागरिक निर्माण कार्यों, संरचनाओं, उपयोगिता सेवाओं, साज-सामान आदि सहित बाजार की सुविधायें

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक

(ङ) पांच वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर 1979।

11. (क) कर्नाटक डेरी विकास परियोजना
(कृ० पु० निगम का कार्यक्रम)

(ख) परियोजना की लागत 435.00 लाख डालर (34.80 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 300.00 लाख डालर (24 करोड़ रुपये) जिसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता 209.00 लाख डालर (16.72 करोड़ रुपये)

(ग) कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित कार्यक्रम। इसके लिए संकरण के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशु स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सेवाओं और दूध संग्रहण, अभिसंस्करण और विपणन के लिए विकास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, कर्नाटक सहकारी शिखर बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

(ङ) आठ वर्ष—समाप्ति का दिनांक—30 सितम्बर 1982।

12. (क) मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना

(ख) परियोजना की लागत 603.00 लाख डालर (45.2 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 330.00 लाख डालर (24.95 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

(ग) फार्म पर किए जानेवाले निवेशों का वित्तपोषण उन निवेशों में खुदाईवाले कुओं का निर्माण, वर्तमान कुओं में सुधार, बिजली तथा डीजल पंपसेट, और रहटें लगाना तथा भूमि को समतल करने का अनुषंगी कार्य।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक—दिसम्बर 1976।

13. (क) महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना
(ख) परियोजना की लागत 524.20 लाख डालर (38.15 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 300.00 लाख डालर (21.83 करोड़ रुपये)। इसमें से 254.00 लाख डालर की राशि (18.59 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें, नलकूपों उद्धवाहक सिंचाई, खुदाई के कुओं, खुदाई के कुओं में सुधार और कुओं में बिजली लगाने तथा भूमि को समतल बनाने के निवेश शामिल हैं।
(घ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक
(ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर 1975।

14. (क) पंजाब कृषि ऋण परियोजना
(ख) परियोजना की लागत 562.700 लाख डालर (45.02 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 275.00 लाख डालर (20.02 करोड़ रुपये) जो कि निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(ग) आयात किए गए तथा देशी ट्रैक्टरों, कटाई की मशीनों तथा स्वचालित कंबाइनों की खरीद का वित्तपोषण
(घ) पंजाब राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक
(ङ) दो वर्ष—समाप्ति का पहले निर्दिष्ट किया गया दिनांक 31 दिसम्बर 1973 था जिसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1975 तक कर दिया गया है।

15. (क) *राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (कृ० पु० निगम का कार्यक्रम)
(ख) परियोजना की लागत 397.50 लाख डालर (31.8 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 121.00 लाख डालर (9.7 करोड़ रुपए) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(ग) इस परियोजना में वितरक नहरों की मेड़ें बनाना, सड़क निर्माण, चारागाहों का विकास, वनरोपण, उर्वरकों की व्यवस्था तथा फार्म का ऊपरी विकास जिसमें भूमि को आकार-प्रकार देना, भूमि उद्धार तथा जल मार्ग के लिए मेड़ें बनाना शामिल हैं।
(घ) राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक
(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति का दिनांक—30 जून, 1981।

16. (क) तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना
(ख) परियोजना की लागत 623.00 लाख डालर (46.8 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 350.00 लाख डालर (26.25 करोड़ रुपये) जिसमें से 298.00 लाख डालर (21.70 करोड़ रुपये) की सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(ग) लघु सिंचाई निवेशों का वित्तपोषण जिसमें फिल्टर बिंदुवाले नलकूप, उथले तथा मध्यम नलकूप लगाना, भूमि समतलन, भूमि में नालियां बनाना और ट्रेक्टर शामिल हैं।
(घ) तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
(ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर 1974।

17. (क) तराई बीज परियोजना
(ख) परियोजना की लागत 223.90 लाख डालर (16.79 करोड़ रुपये)—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता 130.00 लाख डालर (9.75 करोड़ रुपये) जिसमें से 90 लाख डालर (6.75 करोड़ रुपए) की सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(ग) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का भूमि विकास ताकि अधिक उपजाऊ किस्म के खाद्यान्नों की उपलब्धि में वृद्धि हो सके।
(घ) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
(ङ) जून 1974

18. (क) उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना
(ख) परियोजना की लागत 725.00 लाख डालर (54.3 करोड़ रुपए)—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 380.00 लाख डालर (28.5 करोड़ रुपये) जो कि निगम के प्रदान की जाएगी।
(ग) फार्म के ऊपर के निवेशों उदाहरणार्थ ईंट की चिनाई वाले या खुदाई वाले कुओं या नलकूपों, उथले नलकूपों, मामूली गहराईवाले नलकूपों रहटों के निर्माण और बिजली तथा डीजल पंपसेट लगाने के निवेशों का वित्तपोषण
(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्यक बैंक
(ङ) तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर 1976।

*अं० वि० संघ ने इसकी औपचारिक स्वीकृति जुलाई 1974 में प्रदान की थी।

विवरण 10

30 जून 1974 को अं० पु० वि० बैंक (आई० बी० आर० डी०)/अं० वि० संघ (आई० डी० ए०) परियोजनाओं की प्रगति

करोड़ रुपये

परियोजना	प्रयोजन	उधार देने की कुल राशि का कार्यक्रम	कृ०पु० निगम को प्राप्त होने वाली अं० पु० व०बैंक/अ० वि० संघ की सहायता	परियोजना वाले राज्य भूमि विकास बैंकों/ सहकारी बैंकों द्वारा किए गए वितरण	कृ० पु० निगम द्वारा किए गए वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क. अं० पु० वि० बैंक की परियोजनायें						
1. उत्तर प्रदेश-तराई बीज परियोजना	भूवि	9.27	6.75	1.25	1.24	1.23
2. चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना	भूवि	7.00**	4.10	—	—	—
ख. अं० वि० संघ की परियोजनायें						
(क) कृषि ऋण परियोजनायें						
3. गुजरात	लसि	39.07	23.44	38.10	34.45	22.06
	कृम	3.51	1.82*	3.19	2.39	1.87
		42.58	25.26	41.29*	36.84	23.93
4. आंध्र प्रदेश	लसि	17.02	10.19	17.02	11.60	10.05
	भूवि	5.06	3.81	1.90	1.08	1.28
	कृम	7.02	3.55	—	—	—
		29.10	17.55	18.92$	12.68	11.33
5. तमिलनाडु	लसि	29.91	16.53	26.91=	20.59	16.50
	भूवि	2.66	1.53	0.82*	0.40	0.54
	कृम	7.02	3.64	—	—	—
		39.59	21.70	27.73	20.99	17.04
6. हरियाणा	लसि	15.08	7.06	14.98	13.08+	6.66
	कृम	24.27	11.14	—	—	—
		39.35	18.20	14.98£	13.08	6.66
7. कर्नाटक	लसि	14.45	9.54	12.77	10.18	7.84
	भूवि	17.16	12.30	1.65	0.92	0.92
	कृम	8.20	4.88	—	—	—
		39.81	26.72	14.42£	11.10	8.76

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1974 को अं० पु० वि० बैंक (आई० बी० आर० डी०) /अं० वि० संघ (आई० डी० ए०) परियोजनाओं की प्रगति

करोड़ रुपये

1	2	3	4	5	6	7
8. महाराष्ट्र	लसि	27.48	16.51	18.82	16.94	9.53
	भूवि	4.15	1.98	—	—	—
		31.63	18.49	18.82	16.94	9.53
9. पंजाब	कृम	38.27	20.02	0.87	0.64	—
10. मध्य प्रदेश	लसि	37.63	23.95	5.69$	4.32	1.24
	भूवि	1.58	1.00	—	—	—
		39.21	24.95	5.69	4.32	12.4
11. उत्तर प्रदेश	लसि	45.94	28.48	6.67	6.20	3.24
12. बिहार	लसि	39.43	24.00	2.51£	2.25	0.90
ख. अन्य परियोजनायें						
13. बिहार बाजार केन्द्र परियोजना		14.91	9.35	—	—	—
14. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना		4.52	3.72	—	—	—
15. कर्नाटक बाजार केन्द्र परियोजना		7.92	6.35	—	—	—
16. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना		27.50	16.72	—	—	—
17. कृषि विमानन परियोजना		5.29	2.48	—	—	—
कुल जोड़		461.32	274.84	153.15	126.28	83.86

लसि—लघु सिंचाई

भूवि—भूमि विकास

कृम—कृषि मशीनीकरण

*—31-3-74 को

£—30-4-1974 को

$—31-5-1974 को

=—28-2-1974 को

+—अतिरिक्त तदर्थ स्वीकृतियों के कारण कृ० पु० निगम के वितरण मंजूरियों से अधिक हैं।

विवरण 11

राज्य वित्त पोषक एजेंसी के अनुसार जून 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचरों और आहरित ऋणों की राशि और योजनाओं का प्रयोजन

करोड़ रुपये

राज्य	एजेंसी को कूट संख्या	योजना का स्वरूप	जारी किए गए डिबेंचरों/जुटाये गए ऋणों की कुल राशि	कृ० पु० निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/आहरित ऋण	राज्य सरकारों/बैंकों का अभिदान
1	2	3	4	5	6
I.उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	2	कृषि मशीनीकरण	0.08	0.06	0.02
		डेरी विकास	0.01	0.01	—
			0.09	0.07	0.02
हरियाणा	1	लघु सिंचाई } भूमि विकास }	5.44	4.89	0.55
	2	लघु सिंचाई	2.40	1.95	0.45
		कृषि मशीनीकरण	0.08	0.07	0.01
		डेरी विकास	0.06	0.05	0.01
	3	भांडार	1.07	1.07	—
			9.05	8.03	1.02
हिमाचल प्रदेश	1	बागान/बागवानी	0.05	0.04	0.01
पंजाब	1	लघु सिंचाई	2.10	1.94	0.16
		भूमि विकास	0.23	0.19	0.04
	2	लघु सिंचाई	1.39	1.08	0.31
		कृषि मशीनीकरण	0.94	0.70	0.24
		डेरी विकास	0.18	0.14	0.04
		भांडार	0.32	0.24	0.08
	3	भांडार	0.66	0.60	0.06
			5.82	4.89	0.93
राजस्थान	1	लघु सिंचाई	1.88	1.77	0.11
		बागबानी	0.06	0.05	0.01
	2	लघु सिंचाई	0.95	0.75	0.20
		कृषि मशीनीकरण	0.07	0.06	0.01
		भांडार/बाजार केन्द्र	0.26	0.20	0.06
			3.22	2.83	0.39

विवरण 11 (चालू)

राज्य वित्त पोषक एजेंसी के अनुसार जून 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम द्वारा अभिहस्त डिबेंचरों और आहरित ऋणों की राशि और योजनाओं का प्रयोजन

करोड़ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	2	बागान/बागबानी	0.38	0.29	0.09
नागालैण्ड	3	भूमि विकास	0.04	0.04	—
III पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	1	लघु सिंचाई	3.79	3.40	0.39
		भूमि विकास	0.10	0.07	0.03
	2	लघु सिंचाई	2.43	2.03	0.40
		कृषि मशीनीकरण	0.44	0.35	0.09
			6.76	5.85	0.91
उड़ीसा	1	भूमि विकास	0.02	0.02	—
		कृषि मशीनीकरण	0.02	0.01	0.01
		बागान/बागबानी	0.07	0.05	0.02
			0.11	0.08	0.03
पश्चिम बंगाल	1	लघु सिंचाई	0.12	0.11	0.01
	2	लघु सिंचाई	0.11	0.11	—
			0.23	0.22	0.01
IV मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	1	लघु सिंचाई	4.86	4.39	0.47
		कृषि मशीनीकरण	0.18	0.12	0.06
	2	लघु सिंचाई	2.29	1.94	0.35
			7.33	6.45	0.88
उत्तर प्रदेश	1	लघु सिंचाई	13.99	12.68	1.31
		बागान/बागबानी	0.03	0.02	0.01
	2	लघु सिंचाई	0.75	0.60	0.15
		भूमि विकास			
		कृषि मशीनीकरण	2.06	1.67	0.39
		भूमि विकास	0.03	0.01	0.02
			16.86	14.98	1.88

विवरण 11 (चालू)

राज्य वित्त पोषक एजेंसी के अनुसार जून 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम द्वारा अभिवत्त डिबेंचरों और आहरित ऋणों की राशि और योजनाओं का प्रयोजन

करोड़ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	2	लघु सिंचाई	0.04	0.03	0.01
गुजरात	1	लघु सिंचाई	7.32	6.63	0.69
		कृषि मशीनीकरण	0.16	0.10	0.06
	2	लघु सिंचाई	0.01	0.01	—
		कृषि मशीनीकरण	0.73	0.58	0.15
		डेरी विकास	0.58	0.46	0.12
		गोदाम/बाजार केन्द्र	0.13	0.10	0.03
			8.93	7.88	1.05
महाराष्ट्र	1	लघु सिंचाई	11.62	10.45	1.17
	2	लघु सिंचाई	1.37	1.14	0.23
		मुर्गीपालन	0.10	0.09	0.01
		डेरी विकास	0.03	0.03	—
		भांडार	0.48	0.38	0.10
	3	मछली पालन	0.62	0.62	—
			14.22	12.71	1.51
VI दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1	लघु सिंचाई	3.46	3.13	0.33
		भूमि विकास	0.45	0.35	0.10
	2	लघु सिंचाई	0.89	0.75	0.14
			4.80	4.23	0.57
कर्नाटक	1	लघु सिंचाई	9.83	8.97	0.86
		भूमि विकास	0.70	0.55	0.15
		बागान/बागवानी	1.14	0.85	0.29
	2	लघु सिंचाई	0.07	0.07	—
		कृषि मशीनीकरण	0.04	0.04	—
		बागान	0.18	0.18	—
		भांडार	0.17	0.17	—
	3	भांडार	0.16	0.16	—
			12.29	10.99	1.30

विवरण 11 (चालू)

राज्य वित्त पोषक एजेंसी के अनुसार जून 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचरों और आहरित ऋणों की राशि और योजनाओं का प्रयोजन

करोड़ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केरल	1	लघु सिंचाई	0.03	0.02	0.01
		भूमि विकास	0.07	0.05	0.02
		बागान/बागवानी	0.43	0.33	0.10
	2	लघु सिंचाई	0.20	0.16	0.04
		भूमि विकास	0.40	0.40	—
		बागान/बागवानी	0.07	0.07	—
			1.20	1.03	0.17
पांडिचेरी	2	डेरी विकास	0.13	0.08	0.05
तमिलनाडु	1	लघु सिंचाई	17.54	16.34	1.20
		भूमि विकास	0.13	0.08	0.05
		बागान/बागवानी	0.18	0.17	0.01
	2	बागान/बागवानी	0.13	0.13	—
		मछली पालन	0.01	0.01	—
		डेरी विकास	0.04	0.04	—
		कृषि विभानन	0.15	0.12	0.03
	3	मछली पालन	0.23	0.23	—
			18.41	17.12	1.29
कुल जोड़			109.96	97.84	12.12

एजेंसी की कूट संख्या : 1. राज्य भूमि विकास बैंक 2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक 3. राज्य सहकारी बैंक

विवरण 12

30 जून 1974 को शेयरधारियों की सूची

(क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

(ख) राज्य भूमि विकास बैंक

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय बंधक बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
6. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और काश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
8. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बधक बंक लिमिटेड
9. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
10. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. मैसूर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
13. पांडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
15. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17. त्रिपुरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1974 को शेयरधारियों की सूची

(ग) राज्य सहकारी बैंक

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
13. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
15. मैसूर राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तामिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, बीमा और निवेश कंपनियां तथा अन्य वित्तीय संस्थायें

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम

(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
9. अलाहाबाद बैंक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा
11. बैंक ऑफ इंडिया
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. कनारा बैंक
14. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
15. देना बैंक
16. इंडियन बैंक
17. इंडियन ओवरसीज बैंक
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. सिंडीकेट बैंक
20. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
21. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
22. युनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया
23. आन्ध्र बैंक लिमिटेड
24. बैंक ऑफ कराड लिमिटेड
25. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड
26. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
27. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड
28. बेलगाम बैंक लिमिटेड
29. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
30. कैथॉलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
31. कारपोरेशन बैंक लिमिटेड
32. फेडरल बैंक लिमिटेड
33. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
34. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
35. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
36. कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड
37. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
38. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
39. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
40. नारंग बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
41. नेडुंगाड़ी बैंक लिमिटेड
42. न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
43. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लिमिटेड
44. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
45. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
46. सांगली बैंक लिमिटेड
47. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
48. तामिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड

विवरण 12 (चालू)

(ब) भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, बीमा और निवेश कंपनियां तथा अन्य वित्तीय संस्थायें

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम

(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

49. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
50. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
51. तंजावुर पर्मनेंट बैंक लिमिटेड
52. विजया बैंक लिमिटेड
53. वैश्य बैंक लिमिटेड
54. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग एरपोरेशन लिमिटेड
55. बैंक ऑफ अमेरिका ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
56. बैंक ऑफ तोकियो लिमिटड
57. बैंक नैशनल डि परिस
58. चार्टर्ड बैंक
59. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
60. मित्सुई बैंक लिमिटेड
61. नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक

(iii) बीमा और निवेश कंपनियां

1. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(iv) अन्य वित्तीय संस्थायें

(1.) को-ऑपरेटिव्ह जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड

अनुबन्ध 1

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि-पुनर्वित्त निगम के 30 जून 1974 तक के संलग्न तुलनपत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखे की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि—

1. हमें जिस जानकारी और जिन स्पष्टीकरणों की जरूरत थी, वे सब हमने प्राप्त कर लिये हैं और वे संतोषजनक पाये गये हैं।

2. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलनपत्र पूर्ण और सही है और इसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा यह तुलनपत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से इस तरह तैयार किया गया है कि इससे निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके।

एम० एन० रायजी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

12 अगस्त, 1974
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग
फीरोज शाह मेहता रोड
बम्बई—400001

अनुबन्ध

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1974 को

देयताएं					30-6-1973 को
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु० पै०
1. पूंजी					
प्राधिकृत पूंजी					
प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 25,000 शेयर			25,00,00,000.00		25,00,00,000.00
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 15,000 प्रदत्त शेयर			15,00,00,000.00		10,00,00,000.00
शेयर आवेदन शुल्क			—		5,00,00,000.00
2. आरक्षित निधि और अधिशेष					
आरक्षित निधि					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार बकाया	*81,61,000.00				43,71,000.00
घटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को चुकाये गये राजकीय ऋण	14,13,896.05				—
	67,47,103.95				43,71,000.00
जोड़िये:					
(i) वर्तमान लाभ का दस प्रतिशत अंतरित राशि (वित्त अधिनियम 1971 के अनुसार)	31,00,000.00				17,65,000.00
(ii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि	51,25,896.05				20,25,000.00
			1,49,73,000.00		81,61,000.00
लाभ-हानि लेखा					
आगे लाया गया लाभ	464.35				315.28
इस वर्ष का लाभ	1,17,51,206.88				64,00,149.07
	1,17,51,671.23				64,00,464.35
घटाइये : आरक्षित निधि की अंतरित राशि	51,25,896.05				20,25,000.00
	66,25,775.18				43,75,464.35
लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरित राशि	66,25,000.00				43,75,000.00
			775.18		464.35
3. विशेष जमा			1,40,56,386.54		1,16,33,236.54
4. गारंटीकृत लाभांश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई राशि (अधिनियम की धारा 6)			—		14,13,896.05
आगे ले जाया गया जोड़			17,90,30,161.72		17,12,08,596.94

2

निगम

तुलन-पत्र

आस्तियां				30-6-1973 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. नकदी						
(क) हाथ में		2,321.08				2,539.36
(ख) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास		7,36,635.04				3,31,388.07
(ग) दूसरों के पास						
(i) भारत में		45,622.84				67,216.82
(ii) विदेश में		—				—
				7,84,578.96		4,01,144.25
2. ऋण						
(क) पुनर्वित्त के रूप में		38,23,13,971.00				20,54,22,371.00
(ख) अन्य		—				—
घटाइये : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था		—				—
				38,23,13,971.00		20,54,22,371.00
3. डिबेंचर				271,51,40,033.83		195,59,39,164.26
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)				— —		— —
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज						
6. अन्य आस्तियां						
(क) फर्नीचर, फिटिंग्स और जुड़नार कार्यालयीन उपस्कर आदि						
(30-6-1973 तक का मूल्य)	8,35,165.92					7,36,974.54
जोड़िये : इस वर्ष की वृद्धि	2,29,728.52					1,11,624.05
	10,64,894.44					8,48,598.59
घटाइये : बेची गई/संमजित मदें	163.00					13,432.67
	10,64,731.44					8,35,165.92
घटाइये : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	3,18,122.07					2,24,435.31
		7,46,609.37				6,10,730.61
(ग) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमा राशियां		1,24,956.66				1,16,356.66
आगे ले जाया गया		8,71,566.03		309,82,38,583.79		216,17,62,679.51

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1974 को

देयताएं					30-6-1973 को
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु० पै०
आगे लाया गया			17,90,30,161.72		17,12,08,596.94
5. बांड और डिबेंचर					
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982 पहली सीरीज	10,93,77,000.00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982 दूसरी सीरीज	8,52,50,000.00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1984 तीसरी सीरीज	8,25,00,000.00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1985 चौथी सीरीज	11,00,00,000.00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1985 पांचवीं सीरीज	16,50,00,000.00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1986 छठी सीरीज	11,00,00,000.00				
			66,21,27,000.00		38,71,27,000.00
6. केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण					
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन	5,00,00,000.00				5,00,00,000.00
(ख) अन्य ऋण	158,50,23,185.00				119,84,70,770.00
			163,50,23,185.00		124,84,70,770.00
7. अन्य उधार					
(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये उधार					
(i) दीर्घकालीन उधार	54,00,00,000.00				34,50,00,000.00
(ii) अल्पकालीन उधार	11,60,00,000.00				3,70,00,000.00
			65,60,00,000.00		38,20,00,000.00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार					
(i) भारत में			—		—
(ii) विदेश में			—		—
8. आवधिक जमाराशियां					
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को			—		—
(ख) दूसरों की			—		—
9. लाभांशों की व्यवस्था					
लाभ-हानि लेखे से अंतरित की गई राशि	66,25,000.00				43,75,000.00
जोड़िये : अधिनियम की धारा 28 के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 6 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली अदायगी (देखिए दुतरफा लाभांश घाटा लेखा)	—				—
			66,25,000.00		43,75,000.00
आगे ले जाया गया जोड़			313,88,05,346.72		219,31,81,366.94

निगम

तुलन-पत्र

आस्तियां				30-6-1973 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु० पै०
आगे लाया गया	8,71,566.03		309,82,38,583.79		216,17,62,679.51
(ग) फुटकर अग्रिम	9,29,088.61				88,87,891.24
(घ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज . . .	8,35,15,027.25				5,03,33,967.88
(ङ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	75,53,486.50				32,21,982.78
(च) प्रारंभिक व्यय घटाइये : इस वर्ष बट्टे खाते डाला गया . .	कुछ नहीं				कुछ नहीं
(छ) लाभांश घाटा लेखा . . .	—				14,13,896.05
			9,28,69,168.39		6,45,84,825.22
आगे ले जाया गया जोड़			319,11,07,752.18		222,63,47,504.73

	कृषि पुनर्वित्त 30 जून 1974 को			
	रु०	पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया	313,88,05,346.	72	219,31,81,366.	94
10. कराधान की व्यवस्था@	1,20,52,113.	00	68,11,244.	62
11. अन्य देयताएं				
फुटकर लेनदार	81,05,598.	50	26,93,302.	94
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है				
(क) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण	2,42,05,462.	40	1,70,97,150.	33
(ख) बॉंड और डिबेंचर	1,09,39,231.	56	65,64,439.	90
आकस्मिक देयताएं				
(क) भारत के बहार से पूंजीगत माल खरीदने के लिए आस्थगित अदायगी पर दी गई गारंटी के बाबत	—		—	
(ख) अन्य मदें	—		—	
जोड़	319,11,07,752.	18	222,63,47,504.	73

*इसमें वित्त अधिनियम 1971 के अनुसार विशेष आरक्षित निधि के 35,50,000/– रुपये शामिल हैं।

@यह व्यवस्था करों की अग्रिम अदायगी के लिए समंजन करने के बाद की गई है।

एस० एन० डे०
वरिष्ठ निदेशक, वित्त और प्रशासन

बंबई 10 अगस्त 1974

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार@
एन० एम० रायजी एण्ड कं०
सनदी लेखाकार

बम्बई 12 अगस्त 1974

@कृपया अनुबंध 1 देखें।

निगम

तुलना-पत्र

आस्तियां			30-6-1974 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया			319,11,07,752.18	222,63,47,504.73
			319,11,07,752.18	222,63,47,504.73

	आर० के० हजारी	अध्यक्ष
	एम० ए० कुरेशी ए० के० दत्त बी० एस० विश्वनाथन एम० आर० पटेल सी० डी० वाते	निदेशक
बंबई		
10 अगस्त 1974	एम० ए० चिदम्बरम्	प्रबंध निदेशक

अनुबन्ध

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1974 को समाप्त हुए

		पिछले वर्ष	
	रु० पै०	रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	11,34,20,889.45	6,74,34,239.	91
2. वेतन और भत्ते	65,20,378.40	44,07,362.	69
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और अन्य निधियों में अंशदान	6,01,511.38	4,49,301.	16
4. निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस	1,500.00	1,300.	00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	18,160.00	19,054.	10
6. किराया, उपकर बीमा, बिजली आदि	6,81,595.87	6,39,773.	84
7. यात्रा व्यय	4,86,796.88	4,27,956.	49
8. छपाई और लेखन सामग्री	1,73,018.58	1,10,727.	11
9. डाक, तार और टेलीफोन	1,53,988.25	1,80,987.	08
10. संपत्ति की मरम्मत	11,522.24	8,052.	68
11. लेखा परीक्षकों की फीस	10,000.00	7,000.	00
12. कानूनी व्यय	17,353.59	15,770.	95
13. विविध व्यय	22,55,375.69	15,91,920.	10
14. मूल्यह्रास	93,747.01	74,189.	91
15. विशेष आरक्षित निधियों को अंतरण जो वित्त अधिनियम 1971 के अधीन वर्तमान लाभ का 10% है।	31,00,000.00	17,65,000.	00
16. कराधान की व्यवस्था	1,60,18,595.38	89,07,588.	00
17. तुलन-पत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	1,17,51,206.88	64,00,149.	07
जोड़	15,53,15,669.60	9,24,40,373.	09

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एस० एम० डे
वरिष्ठ निदेशक
वित्त और प्रशासन

बंबई 10 अगस्त 1974

एन० एम० रायजी एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
बंबई 12 अगस्त 1974
@कृपया अनुबंध 1 देखें।

निगम

वर्ष का लाभ-हानि लेखा

			पिछले वर्ष
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. प्राप्त ब्याज			
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	14,98,76,623.91		8,85,97,520.40
(ख) निवेशों पर (स्त्रोत पर काटा गया कर 23,43,675.00 रु०) . . .	53,70,316.19		37,54,652.40
		15,52,46,940.10	9,23,52,172.80
2. भांजन, कमीशन आदि			
3. अन्य मदें			
(क) शेयर अंतरण शुल्क . . .	2.00		4.00
(ख) विविध प्राप्तियां . . .	31,026.76		9,529.88
(ग) वायदा प्रभार . . .	37,700.74		78,666.41
		68,729.50	88,200.29
	जोड़	15,53,15,669.60	9,24,40,373.09

	आर० के० हजारी	अध्यक्ष
	एम० ए० कुरेशी ए० के० दत्त बी० एस० विश्वनाथन् एम० आर० पटेल सी० डी० वाले	निदेशक
बंबई 10 अगस्त 1974	ए० ए० चिदम्बरम्	प्रबंध निदेशक

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay-1, the 29th July 1975

SBD/No. 12/1975.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Dr. M. R. Gopalakrishnan Nair, Ambadi, T.C./4/481, Kaudiar, Trivandrum-3, as a Director of the State Bank of Travancore for a term of three years from the 29th July 1975 to the 28th July 1978 (inclusive) in place of Shri M. K. Mani who will cease to be a Director from today.

Sd./- ILLEGIBLE
Chairman

STATE BANK OF INDIA
GENERAL MANAGER (OPERATIONS)
SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th August 1975

No. GMO/STAFF/18/4303.—1. Shri K. C. Gupta, Officer Grade I assumed charge as Personnel Officer at New Delhi Main Branch on the 1st July 1975.

2. Shri V. N. Pushp, Officer Grade I assumed charge as Manager, Personal Banking Division, at Chandni Chowk Delhi Branch on the 20th June 1975.

A. S. MONGIA,
Chief General Manager

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700016, the 14th June 1975

(COST ACCOUNTANTS)

No. 18-CWR(21)/75.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the power conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 14th June 1975 the name of Shri Joseph Winfred, BCOM, ACMA, AICWA, 41-A, Padmanaba Nagar, Adyar, Madras-600020, (Membership No. 1253).

The 12th July 1975

No. 16-CWR(150-151)/75.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, on account of death the names of the following members with effect from the date shown against each :

M/1395 Shri R. Krishnamurthi, Finance Manager, Madras Fertilizers Ltd., Manali, Madras-8—24th May 1975.

M/505 Shri Heramba Kumar Chakraborti, 14/1, Chakraberia Lane, Calcutta-20—7th July 1975.

S. N. GHOSE,
Secretary

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

NOTICE

Bombay-400018, the 19th August 1975

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the Agricultural Refinance Corporation will be held at the Agricultural Refinance Corporation, 2nd Floor, Shrineketan, 'F' Block, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay 400018 on 26 September 1975 at 3 P.M. to transact the following business :

(a) to discuss the annual accounts for the year ended 30 June 1975;

(b) to discuss the auditor's report on the annual balance sheet and accounts;

(c) to discuss the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1975.

The share register of the Corporation will remain closed from 11 September 1975 to 25 September 1975, both days inclusive.

By Order of the Board
M. A. CHIDAMBARAM,
Managing Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975